

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2016-भाद्र 4, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता की एल. आई. सी. पोलिसी क्र. 202151025 में मेरा नाम राजेश उर्फ प्राणी यादव अंकित करा दिया है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों, बैंक खातों में मेरा नाम प्राणी सिंह यादव अंकित है। उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं।

अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम प्राणी सिंह यादव के नाम से जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(राजेश उर्फ प्राणी यादव)

(302-बी.)

नया नाम :

(प्राणी सिंह यादव)

नाका चन्द्रवदनी लभेडपुरा,
नहरवाली माता रोड, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम हेमलता मुंडी था एवं शैक्षणिक अंकसूची में भी मेरा नाम हेमलता मुंडी था। शादी के उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर अमीषा वाकणकर हो गया है। अतः अब मुझे इसी नाम से पढ़ा व लिखा जावे। भविष्य में भी मुझे मेरे परिवर्तित नाम से ही जाना-पहचाना जाए। समस्त सूचित हों।

पुराना नाम :

(हेमलता मुंडी)

(303-बी.)

नया नाम :

(अमीषा वाकणकर)

पत्नी स्व. श्री आदित्य वाकणकर,
पता-आटे की पायगा, नई सड़क,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अब्दुल कादिर ने अपना नाम परिवर्तन कर अब्दुल गफ्फार नुरानी कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(अब्दुल कादिर)

(301-बी.)

नया नाम :

(अब्दुल गफ्फार नुरानी)

पिता-मोहम्मद आसिफ नुरानी,
पता-15, तजीम नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कोमल पिता अमरलाल हबलानी था, जिसे शादी के बाद अब मैंने बदलकर क्रिशा पति गौरव संतवानी हो गया है, अतः अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(कोमल हबलानी)

पता-69, गोपाल बाग

कृष्ण अपार्टमेन्ट फ्लैट नं. 201, इन्दौर

(305-बी.)

नया नाम :

(क्रिशा संतवानी)

467, गुमाश्ता नगर,

इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शफक गिडियन पिता श्री शोभित कुमार गिडियन, निवासी-27, वैशाली नगर, शिवाजी वार्ड, सागर (म.प्र.) थी जो कि मेरे विवाह पूर्व सभी शासकीय अभिलेखों एवं अंकसूचियों में शफक गिडियन पिता श्री शोभित कुमार गिडियन दर्ज है. दिनांक 23-10-2015 को मेरा विवाह हुआ है. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती स्मितिका सिंह पति श्री वैभव सिंह हो गया है. अतः मुझे श्रीमती स्मितिका सिंह पति श्री वैभव सिंह के नाम से सभी दस्तावेजों में पढ़ा, लिखा व जाना जावे.

पुराना नाम :

(शफक गिडियन)

(306-बी.)

नया नाम :

(स्मितिका सिंह)

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMED NAUSHAD SHEIKH Here by Declare that I have change my name as MOHAMMED NAUSHAD KHAN So, from now and in future I will be known by my New Name MOHAMMED NAUSHAD KHAN.

Old Name :

(MOHAMMED NAUSHAD SHEIKH)

(311-B.)

New Name :

(MOHAMMED NAUSHAD KHAN)

661, Hammal Mohalla, Mhow,

Dist. Indore (M. P.).

नाम परिवर्तन

हम अर्थात् अबतुराब अली सैफी पुत्र श्री मोहम्मद इलियास तथा श्रीमती अरवा पति श्री अबतुराब अली सैफी, निवासीगण राजाजी मार्ग, लक्ष्मीगंज गुना के हैं. हमारी पुत्री का नाम सकीना सैफी है जो वर्तमान में क्राईस्ट सीनियर सैकेण्ट्री स्कूल गुना में कक्ष 9वीं में अध्ययनरत है. परन्तु हमारी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में पिता के रूप में “तुराब अली” तथा माता के नाम के रूप में “अरवा” पति श्री तुराब अली लिखा हुआ है. जबकि मेरी पुत्री के पिता के रूप में मेरा सही नाम “अबतुराब अली सैफी” है परन्तु भूलवश “अब” शब्द का लोप हो गया है. इस कारण एतद्वारा हम घोषणा करते हैं कि आज से हमारी पुत्री कुमारी सकीना सैफी के जन्म प्रमाण-पत्र में पिता के नाम के रूप में “अबतुराब अली सैफी” पढ़ा जावे एवं सही मान्य किया जावे.

पुराना नाम :

(तुराब अली)

(315-बी.)

नया नाम :

(अबतुराब अली सैफी)

नाम परिवर्तन

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शादी से पूर्व मुबीना सैफी पुत्री औनअली था। शादी के बाद अब मेरा नाम अरवा पत्नि अबतुराब अली सैफी हो गया है। मुझे अब से अरवा सैफी पत्नि अबतुराब अली सैफी के नाम से जाना, पढ़ा व लिखा जावे।

पुराना नाम :

(मुबीना सैफी)

(316-बी.)

नया नाम :

(अरवा सैफी)

पत्नि अबतुराब अली सैफी,

निवासीगण राजाजी मार्ग, लक्ष्मीगंज, गुना (म. प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पूर्व में नाम अनन्य श्रीवास्तव पुत्र अभिषेक श्रीवास्तव था जोकि अब आर्यन श्रीवास्तव पुत्र अभिषेक श्रीवास्तव कर दिया गया है, जोकि सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में सभी प्रमाणपत्रों, समव्यवहार एवं कार्यवाहियों में आर्यन श्रीवास्तव ही पढ़ा एवं बोला जावे एवं इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

(304-बी.)

अभिषेक श्रीवास्तव,

निवासी-301, गंगोत्री अपार्टमेन्ट,

गांधीनगर, ग्वालियर (म. प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स वाणी कन्स्ट्रक्शन पंजीयन क्रमांक 01/01/1/00279/09, वर्ष 2008-09 में दिनांक 31-07-2016 से श्रीमती देवकी बाई मैसर्स वाणी कन्स्ट्रक्शन फर्म के भागीदार के रूप में सम्मिलित हुई हैं तथा फर्म के पूर्व भागीदार श्री आर. एस. सोनी, दिनांक 31-07-2016 से फर्म से पृथक् हुए हैं। अतः वर्तमान में फर्म में दो भागीदार क्रमशः विविध खोगल एवं श्रीमती देवकी बाई हैं।

(314-बी.)

मैसर्स वाणी कन्स्ट्रक्शन,

विविध खोगल,

(भागीदार)

भोपाल (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री पाश्वनाथ कन्स्ट्रक्शन स्थित 87/2, एस. एम. कॉम्प्लेक्स टॉवर चौक, फ्रीगंज, उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 7/33/01/00029/06, दिनांक 26 जुलाई, 2006 को पंजीकृत है। जिसमें से दिनांक 19-12-2015 को भागीदारी 1. श्रीमती कृष्णा अग्रवाल पत्नी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, उम्र 63 वर्ष, निवासी 54, आजाद नगर, उज्जैन, 2. राकेश अग्रवाल एच. यू. एफ.कर्ता राकेश अग्रवाल, 54, आजाद नगर, उज्जैन, 3. श्रीमती धापूबाई पत्नी श्री हीरालाल जी जैन, उम्र 72 वर्ष, निवासी 18 नया पुरा, उज्जैन, 4. श्रीमती झम्बूबाई पत्नी श्री बसंतीलालजी जैन, उम्र 76, निवासी 4 नया पुरा, उज्जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं इसी क्रम में 1. श्री सुशील पिता स्व. श्री बसंतीलाल जी जैन, उम्र 54, निवासी 37/2 क्षणक मार्ग राजस्व कॉलोनी फ्रीगंज, उज्जैन, 2. श्रीमती सीमा यादव धर्मपत्नी श्री मोहनजी यादव, उम्र 46 वर्ष, निवासी 180 अब्दालपुरा, उज्जैन फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो। 19-01-2016.

(307-बी.)

मैसर्स श्री पाश्वनाथ कन्स्ट्रक्शन,

मुकेश कुमार रन्का,

(भागीदार)

87/2, एस. एम. कॉम्प्लेक्स फ्रीगंज,

उज्जैन (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जिसमें श्री तेजनारायण परमार पुत्र श्री शिवनारायण परमार एवं राजेन्द्र परमार पुत्र श्री शिवनारायण परमार, निवासी-01, पटेली गली, मालीपुरा उज्जैन (म.प्र.) मैसर्स गोदावरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी स्थित 37, मालीपुरा, उज्जैन (म.प्र.). जिसका पंजीयन नं. 07/33/01/00108/11, दिनांक 30-03-2011 है। मैं से दिनांक 03-03-2014 को भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं इस भागीदारी कर्म में दिनांक 03-03-2014 से एक नये भागीदार श्री अनिल सोलंकी पिता श्री शिवनारायण सोलंकी, निवासी-37, मालीपुरा, उज्जैन (म.प्र.).

शामिल हो गये हैं। इस परिवर्तन के पश्चात् 03-03-2014 से भागीदारी फर्म, फर्म मैसर्स गोदावरी कंस्ट्रक्शन कम्पनी, 37, मालीपुरा, उज्जैन (म.प्र.) में निम्नलिखित भागीदार हैं:- 1. योगेश सोलंकी पिता श्री शिवनारायण सोलंकी, 2. रवीन्द्र सोलंकी पिता श्री शिवनारायण सोलंकी, 3. अनिल सोलंकी पिता श्री शिवनारायण सोलंकी।

वास्ते— मैसर्स गोदावरी कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
योगेश सोलंकी,
37, मालीपुरा, उज्जैन (म.प्र.).

(308-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि धरमदास मूलचंदान (चांदनानी) पिता श्री चोईथराम चांदनानी एवं चंद्रप्रकाश मूलचंदानी (चांदनानी) पिता श्री धरमदास मूलचंदानी (चांदनानी) भागीदारी फर्म मैसर्स पूनम पैलेस, नई पेठ, उज्जैन (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00048/10, दिनांक 22-09-2015 है, में से दिनांक 01-09-2015 को भागीदारी से पृथक् हो गए हैं। इस परिवर्तन के पश्चात् दिनांक 01-09-2015 से भागीदारी फर्म मैसर्स पूनम पैलेस, नई पेठ, उज्जैन (म.प्र.) में निम्नलिखित भागीदार हैं:- (1) भगवानदास चांदनानी पिता श्री चोईथराम चांदनानी, (2) किशोर कुमार चांदनानी पिता श्री चोईथराम चांदनानी, (3) शीतलदास चांदनानी पिता श्री चोईथराम चांदनानी। यहकि मैसर्स अनोखी फैशन, उज्जैन (म.प्र.) जो कि मैसर्स पूनम पैलेस, नई पेठ, उज्जैन (म.प्र.) की शाखा है, को उपरोक्त वर्णित फर्म से पृथम भागीदारों धरमदास मूलचंदानी (चांदनानी) पिता श्री चोईथराम चांदनानी एवं चंद्रप्रकाश मूलचंदानी (चांदनानी) पिता श्री धरमदास मूलचंदानी (चांदनानी) को सौंप दी है।

वास्ते—मैसर्स पूनम पैलेस,
भगवान दास,
नई पेठ, उज्जैन (म.प्र.).

(309-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स भारत ऑटोमोबाईल्स, 01, बस स्टेण्ड के पास, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) पंजीयन नं. 07/33/06/0054/15, दिनांक 16-10-2015 है। भागीदारी पत्रक दिनांक 01-04-2009 में निम्नलिखित भागीदारी थे- (1) जवाहर डोसी पिता श्री आनन्दीलाल डोसी, (2) विश्वास डोसी पिता श्री जवाहर डोसी, (3) आयुश डोसी पिता श्री जवाहर डोसी उपरोक्त वर्णित भागीदारों में से एक भागीदार विश्वास डोसी पिता श्री जवाहर डोसी का स्वार्गावार दिनांक 09-02-2016 को हो जाने के कारण उनके स्थान पर भागीदारी फर्म में एक नये भागीदार श्रीमती गरीमा डोसी पति स्व. विश्वास डोसी को सम्मिलित किया गया है। इन निम्नलिखित भागीदारों द्वारा ही भागीदारी फर्म संचालन एवं व्यवसाय किया जावेगा-(1) जवाहर डोसी पिता स्व. श्री आनन्दीलाल डोसी, (2) श्रीमती गरीमा डोसी पति स्व. श्री विश्वास डोसी, (3) आयुश डोसी पिता श्री जवाहर डोसी। .

वास्ते—मैसर्स भारत ऑटोमोबाईल्स,
आयुश डोसी,
01, बस स्टेण्ड के पास, महिदपुर, उज्जैन (म.प्र.).

(310-बी.)

सूचना पत्र

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अंतर्गत

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अहमद हुसैन पिता श्री हाफिज मोहम्मद दिनांक का 20-11-2005 को निधन हो जाने के कारण उन्हें फर्म से पृथक् किया गया है तथा श्री मोहम्मद अशफाक पिता श्री अहमद हुसैन को दिनांक 21-11-2005 से फर्म में नया भागीदार लिया गया। फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. 1041, दिनांक 17-10-1963 है।

वास्ते—मै. हाफिज एण्ड ब्रदर्स,
मोहम्मद अयूब,
(भागीदार)
मंदसौर (म.प्र.).

(312-बी.)

सूचना पत्र

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अंतर्गत

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मोहम्मद अशफाक पिता श्री अहमद हुसैन दिनांक 20-10-2008 से फर्म से निवृत हो गए हैं। फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. 1041, दिनांक 17-10-1963 है।

वास्ते—मै. हाफिज एण्ड ब्रदर्स,
मोहम्मद अयूब,
(भागीदार)
मंदसौर (म.प्र.).

(312 A-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एन. पी. शर्मा, स्थित 40, अनुपम नगर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 1337, दिनांक 25-03-1992 है. जिसमें दिनांक 05-10-1998 को भागीदार (1) नरहरि प्रसाद शर्मा, (2) हरिसिंह रावत, (3) श्रीमती रसबिहारी शर्मा, (4) श्री रामचरन लाल शर्मा, (5) द्वारिका प्रसाद शर्मा, (6) रामभरोसी शर्मा, (7) कालीचरण शर्मा, (8) श्री बल्लू शर्मा, (9) करन सिंह एक लगायत 9 भागीदार अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 05-10-1998 से (1) श्री रवि शर्मा पुत्र श्री एन. पी. शर्मा, (2) नवीन शर्मा पुत्र श्री एन. पी. शर्मा, (3) वीरेन्द्र शर्मा पुत्र रामचरण लाल शर्मा, (4) श्री संतोष शर्मा पुत्र श्री एन. पी. शर्मा चारों भागीदार फर्म में नवीन साझेदारों के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं तथा दिनांक 30-03-2010 को भागीदार सन्तोष शर्मा पुत्र श्री एन. पी. शर्मा अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 30-03-2010 से श्रीमती किरन शर्मा पत्नी रवि शर्मा, निवासी अनुपम, नगर ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं तथा 21-04-2014 को भागीदार वीरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं आम जन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म मेसर्स एन. पी. शर्मा,

रवि शर्मा,

(भागीदार)

अनुपम नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(313-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 अगस्त, 2016

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऑनलाईन परीक्षा-2015, परीक्षा, दिनांक 12 जून, 2016

संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति

वि. क्र. 7763/25/2016/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-विज्ञापन क्रमांक-02/परीक्षा/2015, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी, 2016 (I) शुद्धिपत्र क्रमांक 01/02/परीक्षा/2015, दिनांक 13 जनवरी, 2016 (ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा करने की अवधि में संशोधन की सूचना) (II) शुद्धिपत्र क्रमांक 02/02/परीक्षा/2015/दिनांक 29 जनवरी, 2016 (अधिकतम आयु सीमा में संशोधन तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अवधि में संशोधन की सूचना) (III) शुद्धिपत्र क्रमांक 03/02/परीक्षा/2015, दिनांक 27 फरवरी, 2016 (परीक्षा तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा करने की अवधि में संशोधन की सूचना) गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के कुल-251 पदों हेतु सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऑनलाईन परीक्षा-2015 मध्यप्रदेश के 07 जिला मुख्यालयों (इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना एवं उज्जैन) पर दिनांक 12 जून, 2016 (रविवार) को दो सत्रों में प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक एवं अपराह्न 03.00 से 05.00 बजे तक आयोजित की गई थीं। उपरोक्त परीक्षा में ट्रेणीवार संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित हैं। प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है।

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या कुल-777 है, इनमें महिला कुल-280, निःशक्तजन कुल-47 भूतपूर्व सैनिक निरंक है, इस परीक्षा परिणाम में निःशक्तजन दृष्टिबाधित 01 आवेदक कम पाया गया है। अर्ह आवेदक संख्या में समान अंक आवेदक-24 सम्मिलित है।

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र पहचान प्रमाण-पत्र (मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास-बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति) एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 13 सितम्बर, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा की वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं। अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सुक्ष्म जाँच पश्चात् ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी।

साक्षात्कार की तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी।

(626)

वंदना वैद्य,
उप-सचिव।

इन्दौर, दिनांक 06 अगस्त, 2016

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आँनलाईन परीक्षा-2015, परीक्षा, दिनांक 12 जून, 2016

लिखित परीक्षा परिणाम

वि. क्र. 7763/25/2016/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-विज्ञापन क्रमांक-02/परीक्षा/2015, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015, आँनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी, 2016 (I) शुद्धिपत्र क्रमांक 01/02/परीक्षा/2015, दिनांक 13 जनवरी, 2016 (आँनलाईन आवेदन-पत्र जमा करने की अवधि में संशोधन की सूचना) (II) शुद्धिपत्र क्रमांक 02/02/परीक्षा/2015/दिनांक 29 जनवरी, 2016 (अधिकतम आयु सीमा में संशोधन तथा आँनलाईन आवेदन-पत्र जमा करने की अवधि में संशोधन की सूचना) (III) शुद्धिपत्र क्रमांक 03/02/परीक्षा/2015, दिनांक 27 फरवरी, 2016 (परीक्षा तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन तथा आँनलाईन आवेदन-पत्र जमा करने की अवधि में संशोधन की सूचना) गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के कुल-251 पदों हेतु सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आँनलाईन परीक्षा-2015, मध्यप्रदेश के 07 जिला मुख्यालयों (इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना एवं उज्जैन) पर दिनांक 12 जून, 2016 (रविवार) का दो सत्रों में प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक एवं अपराह्न 03.00 से 05.00 बजे तक आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में श्रेणीवार संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित हैं। प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है।

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या कुल-777 है, इनमें महिला कुल-280, निःशक्तजन कुल-47, भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं।

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक, सेवा का प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण-पत्र (मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास-बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति) आँनलाईन आवेदन-पत्र की छायाप्रति एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 13 सितम्बर, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा की वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं। अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सुक्षम जाँच पश्चात् ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी।

साक्षात्कार की तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी।

परीक्षा परिणाम में प्रावधिक अर्ह पाए गए 777 आवेदकों के रोल नम्बर एवं नाम की सूची निम्नानुसार है:-

EXAM NAME:-ADPO-2015

EXAM DATE:- 12-JUNE-2016

LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR INTERVIEW

S.No.	Roll No.	Name
1.	ADBH0100013	MAHA KALESHWAR MISHRA
2.	ADBH0100020	CHANDRAPAL SINGH RAWAT
3.	ADBH0100068	MEGHA SHANKARRAO GHUGHUSKAR
4.	ADBH0100106	ARTI ARYA
5.	ADBH0100141	ARVIND SINGH
6.	ADBH0100142	SANJAY KUMAR
7.	ADBH0200157	DIKSHA DOHRE
8.	ADBH0200166	DILIP SINGH SINGAD
9.	ADBH0200185	KAMLA UIKEY
10.	ADBH0200188	SANGAM SINGH

S.No.	Roll No.	Name
11.	ADBH0200253	SHIVAJI SINGH BHADAURIA
12.	ADBH0200265	SURENDRA KUMAR UIKEY
13.	ADBH0300334	RAJ KUMAR KAIMATHIYA
14.	ADBH0300366	SAPNA KANODIA
15.	ADBH0300382	DIWAN SINGH MANJHI
16.	ADBH0300435	HARSH KUMAR SHARMA
17.	ADBH0300461	REENA GAURI
18.	ADBH0300479	SHASHI SHARMA
19.	ADBH0300489	RACHNA CHIDAR
20.	ADBH0400541	PRAVEEN SINGH SOLANKI
21.	ADBH0400559	SHEIKH MOHD. IFTEKHAR
22.	ADBH0400561	LALITA NARWARIYA
23.	ADBH0400569	NEELAM UNAYA
24.	ADBH0400595	PRAVIN SHRIVASTAVA
25.	ADBH0400596	DAKHI RAM AHIRWAR
26.	ADBH0400660	VARSHA MEHTA
27.	ADBH0400663	ALKESH KHAKRE
28.	ADBH0400672	SANGHMITRA BOUDDH
29.	ADBH0400714	DEEPIKA SINGH GURJAR
30.	ADBH0400740	PRAMILA KUROTHE
31.	ADBH0400743	RAVI PRAKASH TRIVEDI
32.	ADBH0400745	SANJU BARMAIYA
33.	ADBH0400761	KALPANA CHANDERIA
34.	ADBH0500817	VINAY KUMAR YADAV
35.	ADBH0500882	JITENDRA KUMAR DHURVE
36.	ADBH0500889	ARVIND SINGH DANGI
37.	ADBH0500904	ARCHANA YADAV
38.	ADBH0500929	RAHUL SHARMA
39.	ADBH0601091	ANAND PRATAP SINGH
40.	ADBH0601096	RAHUL TIWARI
41.	ADBH0601113	PRAVEEN KUMAR SINGH
42.	ADBH0601159	AJEET SINGH
43.	ADBH0601226	ARVIND SINGH
44.	ADBH0601256	JEETENDRA KUMAR DANGI
45.	ADBH0701291	UMESH BHAGWATI
46.	ADBH0701317	BISHAN SINGH UIKEY
47.	ADBH0701325	RADHAESHYAM SINGH CHOUHAN
48.	ADBH0701345	RENU UPADHYAY
49.	ADBH0701349	ASHOK KUMAR
50.	ADBH0701397	AMRITA CHAURASIA

S.No.	Roll No.	Name
51.	ADBH0701428	ARTI RAJORIA
52.	ADBH0701436	YOGENDRA KUMAR JAIN
53.	ADBH0801568	DAMYANTI KATRE
54.	ADBH0801580	CHETAN SHAKYAWAR
55.	ADBH0801582	RITU RAJ CHAUHAN
56.	ADBH0801632	DEEPAK GUPTA
57.	ADBH0801653	DIVAYANSHU DUBEY
58.	ADBH0801674	KIRTI SHUKLA
59.	ADBH0801685	KRATIKA SHROTRIYA
60.	ADBH0801686	GARIMA RATHORE
61.	ADBH0801701	DWARKA PRASAD MEHRA
62.	ADBH0801707	DHARMESH SHARMA
63.	ADBH0801755	DILEEP SINGH RATHOUR
64.	ADBH0801760	VIKRAM BHARGAVA
65.	ADBH0901778	LAXMI KANT PUROHIT
66.	ADBH0901844	RANI JAIN
67.	ADBH0901882	SWARNALATA YADAV
68.	ADBH0901885	SHIVKUMAR SINGH RAI
69.	ADBH0901929	PUSHPENDRA PARASHAR
70.	ADBH0901932	SARIKA BHARTIYA
71.	ADBH0901938	MAYANK GOYAL
72.	ADBH1002104	RAJKISHORI JADON
73.	ADBH1102320	PRATIBHA AGRAWAL
74.	ADBH1102323	MAHESH KUMAR HARDOLIYA
75.	ADBH1102325	CHEATNA TIWARI
76.	ADBH1102346	ASHISH SHRIVASTAVA
77.	ADBH1102382	VIVEK KUMAR SINGH
78.	ADBH1102434	MUKESH KUMAR KORI
79.	ADBH1102461	VIJAY MANJHI
80.	ADBH1102466	VIJAY KUMAR PAWAR
81.	ADBH1202468	DEVENDRA JOSHI
82.	ADBH1202512	SONAL GUPTA
83.	ADBH1202525	NARENDRA KARARE
84.	ADBH1202532	AMIT KUMAR MARAN
85.	ADBH1202560	MEETENDRA SINGH MARAN
86.	ADBH1302678	RACHNA ATULKAR
87.	ADBH1302792	SUMIT MARAN
88.	ADBH1302842	MAHESH DAS BAIRAGI
89.	ADBH1302860	KHEM CHAND CHOUDHARY
90.	ADBH1302863	NEHA DUBEY

S.No.	Roll No.	Name
91.	ADBH1402886	PANJAB SINGH
92.	ADBH1402890	SEAKH SALEEM SIDDIQUI
93.	ADBH1402901	DEVENDRA SINGH KUSHWAHA
94.	ADBH1402925	VIVEK SINGH RAJAN
95.	ADBH1402972	RASHMI AGRAWAL
96.	ADBH1402984	MOTI LAL KOL
97.	ADBH1402997	RAMAKANT TIWARI
98.	ADBH1403000	SHWETA MANGAL
99.	ADBH1503041	FATIMA BANO
100.	ADBH1503074	KESHAV SINGH RATHOR
101.	ADBH1503076	JITENDRA KUMAR NIVERYA
102.	ADBH1503077	PRITHI LAL PANDRY
103.	ADBH1503109	PANKAJ GHANGHORIA
104.	ADBH1503146	NEELAM BHAGORIYA
105.	ADBH1503157	PRATIBHA ROSE
106.	ADBH1503174	KIRAN KAPSE
107.	ADBH1503211	RAVI KUSHWAH
108.	ADBH1603279	GHANSHYAM PRAJAPATI
109.	ADBH1603301	MAHESH KUMAR SINGH
110.	ADBH1603334	VIKASH KUMAR MARAVI
111.	ADBH1603352	ARCHANA JOHARYA
112.	ADBH1603361	SUMAN SHARMA
113.	ADBH1603380	RAMBEER SINGH
114.	ADBH1603420	DHIRENDRA KUMAR UDAINIYA
115.	ADBH1603422	KRISHNA PATIDAR
116.	ADBH1703444	NEETESH PANDEY
117.	ADBH1703475	MUKESH KUMAR UIKEY
118.	ADBH1703489	MAHESH CHOURASIYA
119.	ADBH1703501	JYOTI SHARMA
120.	ADBH1703516	TULSI MANKAR
121.	ADBH1703576	DIVYA GUPTA
122.	ADBH1703594	ANSHUMAN SUHANE
123.	ADBH1703630	PINKY RAJORE
124.	ADBH1703654	CHETNA GUPTA
125.	ADBH1803668	RADHA UIKEY
126.	ADBH1803695	KAMLESH CHARPE
127.	ADBH1803794	AMIT KUMAR GOSWAMI
128.	ADBH1803835	RAHUL DONGRE
129.	ADBH1803842	ARTI RATONIYA
130.	ADBH1803855	RANI CHOUHAN

S.No.	Roll No.	Name
131.	ADBH1903903	NAMRATA GOSWAMI
132.	ADBH1903917	VIKAS GARG
133.	ADBH1903924	HRICHA SHARMA
134.	ADBH1903934	KUMUD SINGH SENGAR
135.	ADBH1903941	MUKESH BAJOLIYA
136.	ADBH1903961	RAJU PANDRE
137.	ADBH1903965	RAVI KUMAR MOURYA
138.	ADBH1904000	SANJAY KUMAR SINGH
139.	ADBH2004066	DHARAM SINGH MALVIYA
140.	ADBH2004160	VISHAL KHARE
141.	ADBH2004181	BAJRANG SINGH CHAUHAN
142.	ADBH2104255	RUPSEE MODI
143.	ADBH2104362	PRIYANKA RATONIA
144.	ADBH2104378	CHITRA SAI MARKO
145.	ADBH2104437	PRERNA YOGI
146.	ADBH2204590	UZMA SULTANA
147.	ADBH2204640	SHAILESH SAHU
148.	ADBH2204662	VANDANA CHOWKSEY
149.	ADBH2204668	KSHITIZ SHARMA
150.	ADBH2204694	BHUPENDRA GOYAL
151.	ADBH2304722	BHUPENDRA ARYA
152.	ADBH2304766	LEENA DIXIT
153.	ADBH2304813	SHANDHYA SURYAWANSHI
154.	ADBH2304889	KIRAN GUPT
155.	ADBH2404900	SONIA SHARMA
156.	ADBH2405047	PRATIBHA PATIL
157.	ADBH2405057	VINOD KUMAR SINGH
158.	ADBH2405067	SHARAD RAGHUVANSHI
159.	ADBH2505174	PRIYANKA KULSHRESHTHA
160.	ADBH2505193	ANURADHA YADAV
161.	ADBH2505228	SHOBHNA PATEL
162.	ADBH2505235	PRITESH KUMAR NAGLE
163.	ADBH2505251	ANTIMA SHUKLA
164.	ADBH2505259	AJAY KUMAR PARASHAR
165.	ADBH2505295	MANORAMA SHAKYA
166.	ADBH2605305	ABHISHEK SINGH PARIHAR
167.	ADBH2605307	NEHA SAWANER
168.	ADBH2605314	TANSEN ROUTEL
169.	ADBH2605315	BHAVANA BHARGAVA
170.	ADBH2605416	RAJNI SHARMA

S.No.	Roll No.	Name
171.	ADBH2605421	DEEPTI YADAV
172.	ADBH2605426	TEJ SINGH GOND
173.	ADBH2605460	PRIYANKA JAIN
174.	ADBH2605471	SUNEETA DEVI KORI
175.	ADBH2605484	RAVINDRA KUMAR PANIKA
176.	ADBH2705524	DIKSHA TANEJA
177.	ADBH2705531	SATYENDARA PAWAIYA
178.	ADBH2705552	SHILPI SHRIVASTAVA
179.	ADBH2705584	SMITA PANDWAR
180.	ADBH2705611	RASHMI GAUTAM
181.	ADBH2805743	JITENDER SINGH DANGI
182.	ADBH2805769	MANDLESHWAR SINGH GURJAR
183.	ADBH2805804	CHAITANYA ANUBHAV CHOUBEY
184.	ADBH2805853	SURAJ VERMA
185.	ADBH2805881	YOGITA SAHU
186.	ADBH2805901	DAYA RAM BANJARA
187.	ADBH2905947	SANJANA MALVIYA
188.	ADBH2905953	SONAXI CHOURASIYA
189.	ADBH2906003	SNEHLATA BAIS
190.	ADBH2906034	ROHINI NAMDEV
191.	ADBH2906115	JAYSHREE ARYAYAN
192.	ADBH3006146	VARSHA BHALAVI
193.	ADBH3006149	NEELAM SAWANER
194.	ADBH3006159	HEMLATA JHA
195.	ADBH3006169	GARGI JHA
196.	ADBH3006191	ADITYA GUPTA
197.	ADBH3006203	JAMNA PRASAD DHURVE
198.	ADBH3106232	DHARMENDRA NAGWANSHI
199.	ADBH3106260	VINOD KUMAR AHIRWAR
200.	ADBH3106288	JYOTI MERAVI
201.	ADBH3106326	SUSHMA UIKEY
202.	ADBH3106397	HEMRAJ SUMAN
203.	ADBH3106412	DILIP SINGH SAINI
204.	ADBH3106425	REKHA MANJHI
205.	ADBH3206484	RAKESH KUMAR CHOURASE
206.	ADBH3206509	SOURABH BEOHAR
207.	ADBH3206520	MATHURA LAL GWAL
208.	ADBH3306582	DINESH KUMRE
209.	ADBH3306601	MADHURI YADAV
210.	ADGW0114184	DEEPAK KUMAR

S.No.	Roll No.	Name
211.	ADGW0114185	POOJA GUPTA
212.	ADGW0114197	MANOJ GUPTA
213.	ADGW0114201	RAHUL GUPTA
214.	ADGW0114205	MAHESH KUMAR YADAV
215.	ADGW0114239	ASHISH SHARMA
216.	ADGW0114244	REENA SHARMA
217.	ADGW0114265	ASHOK KUMAR YADAV
218.	ADGW0214277	MANOJ KUMAR GUPTA
219.	ADGW0214330	RENU KHAN
220.	ADGW0214345	KAILASH NARAYAN PARIHAR
221.	ADGW0214350	NEHA MISHRA
222.	ADGW0214358	KRASHNENDRAPAL SINGH YADAV
223.	ADGW0214359	BRIJESH KUMAR SHARMA
224.	ADGW0214372	SHIVANI SINGH
225.	ADGW0314416	RUPESH KUMAR UCHCHAKOTIYA
226.	ADGW0314421	RAJENDRA SHARMA
227.	ADGW0314431	PRAGYESH MISHRA
228.	ADGW0314443	MANOJ GUPTA
229.	ADGW0314454	MANJU SONI
230.	ADGW0314480	SUDHAKAR SHARMA
231.	ADGW0314483	DEEPTI BHARGAVA
232.	ADGW0314485	NEERAJ SHRIVASTAVA
233.	ADGW0314492	MAHESH MANJHI
234.	ADGW0314501	VANDANA GARG
235.	ADGW0314503	JITENDRA SINGH MAHADORIYA
236.	ADGW0314506	KUSUM TIWAI
237.	ADGW0314516	MAMTA SALAYA
238.	ADGW0414530	MENAKA RENGAR
239.	ADGW0414546	RAMKUMAR KARAN
240.	ADGW0414575	PRASHANT SHARMA
241.	ADGW0414580	SHIVENDRA PRATAP SINGH TOMAR
242.	ADGW0414598	VIVEK SHARMA
243.	ADGW0414599	DEEPMALA SHRIVASTAVA
244.	ADGW0414704	GIRISH PAL
245.	ADGW0414706	LAXMI NARAYAN SHAKYAWAR
246.	ADGW0414709	KALYAN SINGH
247.	ADGW0414715	AJAY SINGH GURJAR
248.	ADGW0414723	ABHAY PRATAP SINGH RATHORE
249.	ADGW0414744	SUNIL KUMAR BARUA
250.	ADGW0414746	KUSHAL DEEWAN

S.No.	Roll No.	Name
251.	ADGW0414755	POOJA BATHAM
252.	ADGW0414759	PREETI BHADOURIA
253.	ADGW0414763	NIHARIKA SINGH
254.	ADGW0514784	SHRIOM SHARMA
255.	ADGW0514805	JYOTSANA BHARGAVA
256.	ADGW0514819	JAGRITI AHIRWAR
257.	ADGW0514839	RAJ KUMAR SHAKYA
258.	ADGW0514846	KHUSHAL SINGH SENGAR
259.	ADGW0514865	VISHNU KANT SAMADHIYA
260.	ADGW0514870	RAMBIHARI LAL SHARMA
261.	ADGW0614874	BHAVANA RAJPUT
262.	ADGW0614893	NAMITA MISHRA
263.	ADGW0614894	GAJENDRA SINGH DHAKAD
264.	ADGW0614918	MEERA KUSHWAH
265.	ADGW0614933	NEETU PRAJAPATI
266.	ADGW0614941	ALKA GARG
267.	ADGW0614942	ARCHANA BADAL
268.	ADGW0614969	UMESH PATEL
269.	ADGW0714981	VIVEK SINGH DHAKAD.
270.	ADGW0714988	MUNNALAL TOMAR
271.	ADGW0715021	JYOTI GARG
272.	ADGW0715032	MANWENDRA SINGH RANA
273.	ADGW0715048	MEENU PACHOURI
274.	ADGW0715051	DINESH KUMAR PATEL
275.	ADGW0715070	HARSH VARDHAN
276.	ADID0106717	RAHUL SOLANKI
277.	ADID0106729	PRIYANKA SHARMA
278.	ADID0106779	RAJENDRA MANDLOI
279.	ADID0106789	AMIT PRATAP SINGH
280.	ADID0106804	SANJAY KUMAR GUPTA
281.	ADID0106858	DINESH PALIWAL
282.	ADID0206891	SANTOSH SOLANKI
283.	ADID0206931	VIJAY PATEL
284.	ADID0206960	RANJANA CHOUHAN
285.	ADID0207013	SANDEEP KUMAR
286.	ADID0207024	VISHAL SONI
287.	ADID0207034	JITENDRA SINGH PARMAR
288.	ADID0207037	IMRAN KHAN
289.	ADID0207045	ABHISHEK JAIN
290.	ADID0307073	DEVARSHI PINCHA

S.No.	Roll No.	Name
291.	ADID0307085	SURBHAM HATILA
292.	ADID0307176	MAKHANLAL BARDE
293.	ADID0307188	SHAILENDRA JEENWAL
294.	ADID0307190	SUJEET KUMAR MARTHESHWAR
295.	ADID0307191	GAURAV BANSAL
296.	ADID0307222	JULFEKER AHMAD QURESHI
297.	ADID0307233	KAMINI PATIL
298.	ADID0407245	SAPNA DUBEY
299.	ADID0407246	ASHUTOSH PAWAR
300.	ADID0407253	SHWETA KHARE
301.	ADID0407254	HARSHITA SINGAR
302.	ADID0407281	MAHENDRA BAGHEL
303.	ADID0407290	SHOBHA RAGHUVANSHI
304.	ADID0407300	INDAR SINGH AJNAR
305.	ADID0407304	KIRAN CHOUHAN
306.	ADID0407310	ANURAG KHARE
307.	ADID0407336	YOGESH KUMAR GARG
308.	ADID0407345	BHAVANA MISHRA
309.	ADID0407380	AJAY CHOUHAN
310.	ADID0407398	KULDEEP SINGH BHADORIA
311.	ADID0407403	MADHAV SINGH SOLANKI
312.	ADID0507435	RAJOO CHOPARIYA
313.	ADID0507439	PINKY SHERWAL
314.	ADID0507440	SHABAZ UDDIN CHAUDHARY
315.	ADID0507446	LALTA SINGH
316.	ADID0507454	BRAJESH KUMAR ASATI
317.	ADID0507476	AKASH YADAV
318.	ADID0507482	VAISHALI VERMA
319.	ADID0507487	VIKAS RAJ LOHIYA
320.	ADID0507509	SURESH KUMAR NARGAVE
321.	ADID0507535	MANU SHRIVASH
322.	ADID0507570	GEETANJALI YADAV
323.	ADID0607672	NEPAL CHOUHAN
324.	ADID0607699	SIDDHARTHA DUWASHA
325.	ADID0607704	MAYA RATHORE
326.	ADID0607719	DEEPA BAURASI
327.	ADID0607722	VANDNA RAGHUVANSHI
328.	ADID0607751	JYOTI PAREEK
329.	ADID0607766	SHALINI RATHOR
330.	ADID0607774	SAVITA VERMA

S.No.	Roll No.	Name
331.	ADID0607779	CHANDER SINGH PARMAR
332.	ADID0607794	SHOAIB KHAN
333.	ADID0607800	NARAYAN SHARMA
334.	ADID0607804	TEKENDRA SINGH MARSKOLE
335.	ADID0607821	PRIYANKA BHADORIA
336.	ADID0707849	AMIT KUMAR GUPTA
337.	ADID0707872	SANJO SINGH YADAV
338.	ADID0707890	LOKENDRA SHARMA
339.	ADID0707936	ROHIT GUPTA
340.	ADID0707941	RASHMI SHRIVASTAVA
341.	ADID0707943	VEER PAL
342.	ADID0707966	AMIT KOTHE
343.	ADID0707970	POOJA PATIDAR
344.	ADID0807979	SUNIL PAHERIA
345.	ADID0808001	SATYENDRA KUMAR JAIN
346.	ADID0808032	AMIT JAIN
347.	ADID0808047	GIRJESH KUMAR
348.	ADID0808065	SURENDRA SINGH ALAWA
349.	ADID0808082	DEVENDRA ARYA
350.	ADID0808083	RAKHI SIKERWAR
351.	ADID0808085	MUKESH KUMAR MALVIYA
352.	ADID0808104	KUNDAN PARASHAR
353.	ADID0808117	DOLLY GUPTA
354.	ADID0908143	RAMDULARE YADAV
355.	ADID0908146	SOHAN LAL BHAGORA
356.	ADID0908165	SARITA AJAVEN
357.	ADID0908202	SHWETA SHARMA
358.	ADID0908212	HARSH BHADORIA
359.	ADID0908234	SOEB MOHAMMAD QURESHI
360.	ADID0908247	RAMESH JAMRA
361.	ADID0908270	ANITA PANT
362.	ADID0908280	LALIT KUMAR MAIDA
363.	ADID0908292	NEERAJ PANDEY
364.	ADID1008327	JITENDRA RAWAT
365.	ADID1008334	SUSHIL SHARMA
366.	ADID1008339	ABHIJEET SINGH VASKLE
367.	ADID1008345	ARJUN SINGH YADAV
368.	ADID1008351	VINOD KUMAR PARMAR
369.	ADID1008379	PRABHAKAR SINGH
370.	ADID1008382	RAJESH SINGH

S.No.	Roll No.	Name
371.	ADID1008391	RAMAVATAR PATEL
372.	ADID1008401	RAJENDRA JAMARA
373.	ADID1008410	OM PRAKASH SINGH
374.	ADID1008417	BHERU SINGH JAMOD
375.	ADID1008421	SWATI PARASHAR
376.	ADID1008448	RAJU SINGH DAWAR
377.	ADID1008466	ANIRUDDH KUMAR SHIV
378.	ADID1008491	RAKESH SINGH
379.	ADID1008517	BADRINATH PANDAGRE
380.	ADID1008518	RAJSHREE SAXENA
381.	ADID1008520	RAJU BHURIYA
382.	ADID1008521	LAXMAN SINGH CHOUHAN
383.	ADID1008528	RAVINDRA GARASIYA
384.	ADID1008539	ANIL JAT
385.	ADID1108544	YUVRAJ CHAUDHARY
386.	ADID1108547	ABHISHEK KUMAR JAIN
387.	ADID1108562	NEELU PATEL
388.	ADID1108584	HEERALAL SISODIYA
389.	ADID1108587	PREMLATA GURJAR
390.	ADID1108589	TRIPTI SONI
391.	ADID1108592	NISHA YADAV
392.	ADID1108593	ALKAR SINGH RAJPUT
393.	ADID1108603	VANDANA JAT
394.	ADID1108612	SHARDA AWHAD
395.	ADID1108614	ANURAJ TONGYA
396.	ADID1108617	HEMANT GOYAL
397.	ADID1108625	HITENDRA BARGAL
398.	ADID1108631	RAJENDRA NAYAK
399.	ADID1108632	MOHD JAHID KHAN
400.	ADID1108666	PRITU SINGH
401.	ADID1108669	VINITA DODIYAR
402.	ADID1108671	PARAS MITTAL
403.	ADID1208672	RINU RAWAT
404.	ADID1208685	BHUPENDRA KUMAR SANGTE
405.	ADID1208692	KAILASH RATHI
406.	ADID1208701	SANDHYA PATEL
407.	ADID1208703	CHAMPA MORI
408.	ADID1208727	ASHISH BHAIRVE
409.	ADID1208774	PARITOSH DEVNATH
410.	ADID1208778	VISHAKHA RAJORIYA

S.No.	Roll No.	Name
411.	ADID1208788	RAJENDRA SINGH DHAKAR
412.	ADID1208790	AKANSHA RATHORE
413.	ADID1208796	BHAWANISHANKAR DANGI
414.	ADID1208810	ANKIT SONI
415.	ADID1208814	MEHTAB SINGH BAGHEL
416.	ADID1208831	DINESH MALVI
417.	ADID1208851	BABEETA PARMAR
418.	ADID1208861	PANKAJ PARETA
419.	ADID1208862	RAVINDRA KUMAR KALYANE
420.	ADID1308874	AJIT SINGH RATHORE
421.	ADID1308897	PRIYANKA SISODIYA
422.	ADID1308936	VIJENDRA SINGH GEHLOT
423.	ADID1308946	SATISH GOUTAM
424.	ADID1308975	NIMITA JAIN
425.	ADID1308981	DINESH KUMAR KHATEKAR
426.	ADID1308987	PANKAJ AHUJA
427.	ADID1409015	SONALI TYAGI
428.	ADID1409039	ALKA MANDLOI
429.	ADID1409066	PREETI SOLANKI
430.	ADID1409070	KAPIL KANT TIWARI
431.	ADID1409080	PRAVIN MEHRA
432.	ADID1409101	SANJAYSINGH TADWALA
433.	ADID1409104	SHASHIKALA SHRIVASTAVA
434.	ADID1409127	VANDANA MANDLOI
435.	ADID1409131	RUKHAMA DODWE
436.	ADID1509175	SARITA DAWAR
437.	ADID1509179	HEMWANTI CHOUDHARY
438.	ADID1509186	MAMTA PARASHAR
439.	ADID1509189	HONEY PATANGIYA
440.	ADID1509203	ANUPAMA BHATNAGAR
441.	ADID1509216	MOHSIN RAZA MANSURI
442.	ADID1509229	BHAGVAN SINGH DHAKAR
443.	ADID1509247	RAVINDRA SINGH CHOUHAN
444.	ADID1509249	ANJU SINGH CHAUHAN
445.	ADID1509254	RAJENDRA SINGH AKHADE
446.	ADID1509264	JAYBEER SINGH YADAV
447.	ADID1509284	NIRAJ KUMAR SONI
448.	ADID1609305	PRITI SHAKYA
449.	ADID1609308	RANVEER SINGH
450.	ADID1609331	JYOTI TOMAR

S.No.	Roll No.	Name
451.	ADID1609358	PRIYANKA SUMAN
452.	ADID1609383	ABHISHEK DUBEY
453.	ADID1609394	ASHOK RAWAT
454.	ADID1609421	DHARMENDRA BAGELA
455.	ADID1609447	EESU YADAV
456.	ADID1609462	JEEVAN BHOORIYA
457.	ADID1609475	VANDNA BANSAL
458.	ADID1609498	SUSHILA BAGHEL
459.	ADID1609528	YESPAL SINGH YADAV
460.	ADID1709536	RAJENDRA SONI
461.	ADID1709551	LAXMI NARAYAN SHRIVASTAVA
462.	ADID1709555	AVDHESH SINGH GOUR
463.	ADID1709556	DEENA CHAUHAN
464.	ADID1709560	BABULAL CHOUHAN
465.	ADID1709578	AMRIT LAL SISODIYA
466.	ADID1709591	SUNAYANA CHOPRA
467.	ADID1709602	YASHODHARA TAYADE
468.	ADID1709615	RAEES SHAIKH
469.	ADID1709618	KUNAL ROHIRA
470.	ADID1709642	NISHI KANT JHA
471.	ADID1709661	PANNALAL BHABHAR
472.	ADID1709671	UPAMA BHARGAVA
473.	ADID1709673	VIVEK KUMAR GOYAL
474.	ADID1709700	SACHIN KUMAR GOYAL
475.	ADID1709708	ROSHANI RATHOR
476.	ADID1709709	RAKESH KUMAR SONARE
477.	ADID1709711	UMASHANKER SAWASIA
478.	ADID1709729	NEETIKA BAMNIYA
479.	ADID1709765	BIHARI BAGHEL
480.	ADID1709775	KHUMSINGH CHOUHAN
481.	ADID1709797	KAPIL BOURASI
482.	ADID1809814	BHARTENDRA SINGH RAJPUT
483.	ADID1809823	KIRTI CHAPHEKAR
484.	ADID1809877	GAJENDRA RAWAT
485.	ADID1809878	RADHABALLABH SHARAN BHARADWAJ
486.	ADID1809893	MEETA PAWAR
487.	ADID1809907	SUSHIL GEHLOT
488.	ADID1809915	RAJESH SHUKLA
489.	ADID1809918	SUNITA RAWAT
490.	ADID1809926	RAVIKANT CHAURASIYA

S.No.	Roll No.	Name
491.	ADID1809934	ARTI DAWAR
492.	ADID1809984	POOJA GOSWAMI
493.	ADID1809985	AKANKSHA TEKAM
494.	ADID1909997	MUKESH MOURYA
495.	ADID1910002	SATYAPAL SINGH THAKUR
496.	ADID1910010	DAYARAM CHOUHAN
497.	ADID1910037	SWETA JADIYA
498.	ADID1910095	DHIRENDRA SINGH CHOUHAN
499.	ADID1910102	MANISH SINGH ALAWA
500.	ADID1910103	SUNIL SINGH KHER
501.	ADID1910137	SANJEEV PIPLADIYA
502.	ADID1910165	RAKESH KATARIA
503.	ADID1910176	SHEELA ALAWA
504.	ADID1910206	TANMAY SINGH RAJAWAT
505.	ADID1910209	VIKAS BHAGAT
506.	ADID1910258	POONAM PIPLE
507.	ADID1910267	ANIL PARWANI
508.	ADID1910268	RAKESH BHIDE
509.	ADID2010286	NIRMALA CHOUHAN
510.	ADID2010288	PRIYANKA PATHAK
511.	ADID2010328	BABITA BHARGAVA
512.	ADID2010332	MUHAMMAD JEELANI
513.	ADID2010333	RAJENDRA BARMAN
514.	ADID2010337	BHANGU SINGH RAWAT
515.	ADID2010342	SANGEETA PANDRAM
516.	ADID2010387	CHINTAMAN PARIHAR
517.	ADID2010389	SANGITA DUDWE
518.	ADID2010391	KHUSHBOO CHOUKSE
519.	ADID2010392	PARWAT SINGH PACHAHA
520.	ADID2010403	DEEPAK RAJORIYA
521.	ADID2010412	YOGITA SINGH CHOUHAN
522.	ADID2010505	ASHISH ASATI
523.	ADID2110528	AARTI JADIYA
524.	ADID2110542	BALRAM SOLANKI
525.	ADID2110549	DINESH MANJHI
526.	ADID2110568	RAJENDRA SINGH SAGAR
527.	ADID2110625	SARITA RAI
528.	ADID2110676	MEENA KUSHWAH
529.	ADID2110741	RAKESH WASKEL
530.	ADID2110751	VIKRAM KUMAR DUBEY

S.No.	Roll No.	Name
531.	ADID2110752	VIVEK KUMAR SHAKYA
532.	ADID2110753	SURESH JATAV
533.	ADID2110766	SAPANA MANDLOI
534.	ADID2110771	NEERU GUPTA
535.	ADID2210787	MOHAN SHARMA
536.	ADID2210801	NEELENDRA KUMAR TIWARI
537.	ADID2210810	SURESH JAMOD
538.	ADID2210840	SHAILENDRA UIKEY
539.	ADID2210894	JASWANT PRADHAN
540.	ADID2210910	PREETI MEENA
541.	ADID2210912	SUDHIR VERMA
542.	ADID2210928	NEHA PRADHAN
543.	ADID2210949	HARSHVARDHAN SINGH RAWAT
544.	ADID2310969	SHERSINGH PAWAR
545.	ADID2310976	ANIL SINGH BAGHEL
546.	ADID2310983	SEENU VERMA
547.	ADID2310990	BHURALAL BASKALE
548.	ADID2311018	SAROJ MIMROT
549.	ADID2311026	BHISM KUMAR GUPTA
550.	ADID2311043	BHUPESH KUMAR TIWARI
551.	ADID2311052	PRIYANKA MAIDA
552.	ADID2411065	JAGMOHAN SINGH
553.	ADID2411073	JEETENDRA SINGH
554.	ADID2511159	RAJESH KAYSTA
555.	ADID2511167	PREM SINGH MANDLOI
556.	ADID2511169	VINAY AMLEYAR
557.	ADID2511170	SUNIL MANDLOI
558.	ADID2511172	LALITA BRAHMANE
559.	ADID2511179	PAPPU SINGH RAWAT
560.	ADID2511190	SHEELA BAGHEL
561.	ADID2511191	SUMITRA MAKHODIYA
562.	ADID2511266	MOHAN DAWAR
563.	ADID2611288	BASANTI GIRWAL
564.	ADID2611289	ANKIT DAWAR
565.	ADID2611319	VIPIN MANDLOI
566.	ADID2611331	JITENDRA SANDWANE
567.	ADID2611337	MEENA RAWAT
568.	ADID2611338	JYOTI NANGWADE
569.	ADID2611343	ARVIND SHARMA
570.	ADID2611352	NITESH KUMAR CHOUDHARY

S.No.	Roll No.	Name
571.	ADID2611360	HEMLATA SHAKYA
572.	ADID2611382	SATISH SOLANKI
573.	ADID2611405	VIKRAM CHAUHAN
574.	ADID2611410	GOVIND DAS ARYA
575.	ADID2611420	POOJA CHATURVEDI
576.	ADID2611421	KUSUM DHARVE
577.	ADID2611432	UMESH BHABAR
578.	ADID2611439	DEO PRAKASH DUBEY
579.	ADID2611466	VIMAL SINGH KAKOTIYA
580.	ADID2611478	CHANDRA BHAN TRIVEDI
581.	ADJB0111580	REKHA CHOURASIYA
582.	ADJB0111624	SHRADHA SHRIVASTAVA
583.	ADJB0111656	VIMAL SINGH
584.	ADJB0111667	DURGESH KUMAR UIKEY
585.	ADJB0111671	SMITA SHRIVASTAVA
586.	ADJB0111685	KUBER TEKANKER
587.	ADJB0111702	RAHUL JAIN
588.	ADJB0211762	AMIT KUMAR TIWARI
589.	ADJB0211781	PRAMOD KUMAR PATEL
590.	ADJB0211789	AVINASH KUMAR DUBEY
591.	ADJB0211798	NUTAN RAWTE
592.	ADJB0211824	JITENDRA PATEL
593.	ADJB0311907	SHRIKANT BENDEY
594.	ADJB0411992	ANURADHA PATEL
595.	ADJB0411997	NARESH SINGH GOND
596.	ADJB0412005	KISHANLAL PRAJAPATI
597.	ADJB0412014	VINAY KUMAR JHARIYA
598.	ADJB0412041	NEETU PASHINE
599.	ADJB0412046	BALKRISHNA DUBEY
600.	ADJB0512094	GOPAL NANDAN PAL
601.	ADJB0512104	RAKESH KUMAR BAGRI
602.	ADJB0512134	ARUJ SINGH LIKHITKAR
603.	ADJB0512143	JYOTI JHARIYA
604.	ADJB0612240	ANAND GOLHANI
605.	ADJB0612286	SOURABH PATHAK
606.	ADJB0612293	NITIN CHITRANSHP
607.	ADJB0612311	GURUVENDRA KUMAR HURMADE
608.	ADJB0612316	SOURABH SINGH THAKUR
609.	ADJB0612352	NEERAJ KUMAR THAKUR
610.	ADJB0612359	AHILYA SINGH DHURVE

S.No.	Roll No.	Name
611.	ADJB0612365	AMIT SINGH DHURWAY
612.	ADJB0612378	PREETI GAJBHIYE
613.	ADJB0612389	SARITA PUSAM
614.	ADJB0612400	AMIT KUMAR UPADHYAY
615.	ADJB0712494	NISHA MISHRA
616.	ADJB0712500	RISHEE KANT DWIVEDI
617.	ADJB0812523	ATUL SINGH BHARDWAJ
618.	ADJB0812525	PARA TEKAM
619.	ADJB0812553	ANKUR MISHRA
620.	ADJB0812554	RENUKA POHARKAR
621.	ADJB0812558	RAJNI MUDIYA
622.	ADJB0812566	KARNAL SINGH SHYAM
623.	ADJB0812567	KEWARA RAJPUT
624.	ADJB0812579	CHANCHAL SANODIYA
625.	ADJB0812585	AWLESH KUMAR BISEN
626.	ADJB0812619	ANOOP KUMAR SINGH
627.	ADJB0812620	DOLLY DHURVE
628.	ADJB0912630	VIKRANT KUMAR SRIVASTAV
629.	ADJB0912632	MAHENDRA KUMAR BAISHYA
630.	ADJB0912646	PRAVEEN KUMAR BITHALE
631.	ADJB0912678	PRAKASH KUMAR VERMA
632.	ADJB0912682	ABHISHEK NIGAM
633.	ADJB0912744	ADITYA TIWARI
634.	ADJB0912757	DAYAL SINGH SURYAWANSHI
635.	ADJB0912758	SAIF NASEEM
636.	ADJB0912765	HEMANT KUMAR DEHARIYA
637.	ADJB0912776	SANGITA GHAI
638.	ADJB1012822	GAURAV PANDEY
639.	ADJB1012831	HEMANT MEHRA
640.	ADJB1012878	ANITA VARMA
641.	ADJB1012881	BALVIR SINGH MARAVI
642.	ADJB1112973	RATAN SINGH DHURWEY
643.	ADJB1112995	RAM ACHAL PAL
644.	ADJB1112996	MUNAUWAR ALI
645.	ADJB1113004	RAMESHWER PRASAD SHIVWEDI
646.	ADJB1113028	RAGHUNATH DEHARIYA
647.	ADJB1113036	ESHWAR DAS VAISHYA
648.	ADJB1113043	ANIL BHARATI
649.	ADJB1113052	OMPRAKASH BAGRI
650.	ADJB1113126	REETA YADAV

S.No.	Roll No.	Name
651.	ADJB1113130	NANDNEE UIKEY
652.	ADJB1113134	KRISHNA MURARI SHARMA
653.	ADJB1113155	KRISHNA PRATAP SINGH
654.	ADJB1213293	RAMANAND DHAR DWIVEDI
655.	ADJB1213358	VISHAL SINGH
656.	ADJB1213367	ABDULLA SHEKH
657.	ADJB1213389	KAUSHLESH PRASAD PATEL
658.	ADJB1313468	NIRAJ PRASAD CHAUDHARY
659.	ADJB1313495	BHOLA PRASAD SAHU
660.	ADJB1313521	SANJAY KUMAR RAWAT
661.	ADJB1313555	KUMUD UPADHYAY
662.	ADJB1313584	ANAND SHEKHAR VERMA
663.	ADJB1313621	GAUTAM KUMAR DUBEY
664.	ADJB1413661	AMARENDRA KUMAR PANDEY
665.	ADJB1413680	SHIV KANT KUSHWAHA
666.	ADJB1413699	JATIN TIWARI
667.	ADJB1413704	ADARSH SINGH SOLANKI
668.	ADJB1413740	PRASOON KUMAR DWIVEDI
669.	ADJB1413746	VIJENDRA VIKRAM SINGH
670.	ADJB1413767	SATISH KUMAR BAIS
671.	ADJB1413876	PRAMILA GUPTA
672.	ADJB1413878	PRABHAT KUMAR MISHRA
673.	ADJB1513891	JAYANTI MORYA
674.	ADJB1513896	VARSHA TRIPATHI
675.	ADJB1513900	RAMESH CHANDRA MISHRA
676.	ADJB1513936	PURUSHOTTAM LAL JHARIYA
677.	ADJB1513937	ROHAN SHARMA
678.	ADJB1513963	RITA DEVI KOL
679.	ADJB1513973	RASHMI THAKUR
680.	ADJB1513979	KAMAL SINGH JATAV
681.	ADJB1513995	PARMOD KUMAR
682.	ADJB1514004	JITENDRA BEN
683.	ADJB1514005	CHITRANSI MOURYA
684.	ADJB1514017	SHAKTI KUMAR PANDYA
685.	ADJB1514051	DIVYA SINGH BAGHEL
686.	ADJB1514052	JITENDRA DOHARE
687.	ADJB1514072	AJAY KUMAR SAHU
688.	ADJB1514076	AJAY KUMAR KACHHEE
689.	ADJB1514097	GYANTI GUPTA
690.	ADJB1514158	YAKUB ALI ANSARI

S.No.	Roll No.	Name
691.	ADJB1514160	MUKESH KUMAR KOL
692.	ADJB1514162	NISHA GUPTA
693.	ADSG0115127	MANJUSHA PANDEY
694.	ADSG0115128	SHARAD SINGH YADAV
695.	ADSG0115132	LAKHAN LAL
696.	ADSG0115136	HARISHANKAR KORI
697.	ADSG0115147	AARTI PANDEY
698.	ADSG0115169	SACHIN GUPTA
699.	ADSG0115221	RAM KUMAR YADAV
700.	ADSG0115223	JYOTI PARMAR
701.	ADSG0115241	BRAJ KISHORE RATHORE
702.	ADSG0115247	ROHIT CHATURVEDI
703.	ADSG0215255	VIJAY KUMAR KHOBRAGADE
704.	ADSG0215261	SURAJ GUPTA
705.	ADSG0215284	KAPIL KUMAR SAHU
706.	ADSG0215298	MANOJ KUMAR NAYAK
707.	ADSG0215300	RAFEEK KHAN
708.	ADSG0215317	VIPIN RAJPUT
709.	ADSG0215326	RAGINI JAIN
710.	ADSG0215334	PAVAN KUMAR BHADORIYA
711.	ADSG0215335	AJAY SUREKA
712.	ADSG0215337	SHALINI BHANDARI
713.	ADSG0215389	MANEESH KUMAR NEMA
714.	ADSG0215410	AMRITA MISHRA
715.	ADSG0215452	ANIL AHIRWAR
716.	ADSG0215473	KULDEEP RAWAT
717.	ADSG0315504	BHAGWAN DAS PATEL
718.	ADSG0315548	ANAND KUSHAWAH
719.	ADSG0315661	SANDEEP RAJ
720.	ADSG0315669	DEVENDRA KUMAR ATHIYA
721.	ADSG0315673	DEVESH KUMAR YADAV
722.	ADSG0415733	REENA RAI
723.	ADSG0415781	GOWARDHAN PATEL
724.	ADSG0415784	SHIVLAL AHIRWAR
725.	ADSG0415788	MANJU LATA PANDEY
726.	ADSG0415807	SHASHI KANT DUBEY
727.	ADSG0415828	KAMLESH RAJ
728.	ADSG0415832	AJAY DUBEY
729.	ADSG0415872	ABHA JAIN
730.	ADSG0515884	DHIRENDRA SINGH

S.No.	Roll No.	Name
731.	ADSG0515915	RAMRAJ SINGH
732.	ADSG0515921	LAXMI NARAYAN SAHU
733.	ADSG0515942	KAPIL VYAS
734.	ADSG0515945	KUMUD RAJA BUNDELA
735.	ADSG0515965	KEERTI UIKEY
736.	ADSG0516024	AGAM SINGH THAKUR
737.	ADSG0616119	MANVENDRA SINGH
738.	ADSG0616122	REETESH KUMAR VYAS
739.	ADSG0616130	MOHIT NAMDEV
740.	ADSG0616209	VIJAYSHRI SURYAVANSHI
741.	ADSG0616220	ASHISH TRIPATHI
742.	ADSG0616255	URMILA UIKEY
743.	ADSG0616268	RITIKA SHARMA
744.	ADSG0716349	KRISHNA KUMAR SONI
745.	ADSG0716356	SHALU PARASHAR
746.	ADSG0716363	RAJEEV KUMAR JAIN
747.	ADSG0716405	RANJEETA SINGH
748.	ADSG0716478	ARUN KUMAR MISHRA
749.	ADSG0716492	VIJAYA BHARTI YADAV
750.	ADSG0716510	AKHALESH DEVALIYA
751.	ADST0117064	HARISH KUMAR MAHATO
752.	ADST0117161	RAJ DEO SINGH
753.	ADST0117177	SHEIKH SUBRATI
754.	ADST0117200	ULLASH SINGH
755.	ADST0217383	ARUN KUMAR SINGH
756.	ADST0217411	VIMAL KUMAR SINGH
757.	ADST0217460	SANTOSH KUMAR YADAV
758.	ADST0317525	HARSHIT UMARIYA
759.	ADST0317542	ARUN PRATAP SINGH
760.	ADST0317570	ARPANA MISHRA
761.	ADST0317577	AJIT KUMAR SINGH
762.	ADUJ0116564	BAJRANG LODHA
763.	ADUJ0116638	PRASANN RATHORE
764.	ADUJ0116651	NARENDRA PARIHAR
765.	ADUJ0116662	VARSHA KACHHWAL
766.	ADUJ0116692	VISHNU KHANDEGAR
767.	ADUJ0116757	DEVENDRA DHAKAD
768.	ADUJ0116790	AJIT KUMAR JAIN
769.	ADUJ0216837	REKHA JOSHI
770.	ADUJ0216867	MOHIT PATIDAR

S.No.	Roll No.	Name
771.	ADUJ0216873	SANJAY SEMLIYA
772.	ADUJ0216896	CHANDMAL BHALOT
773.	ADUJ0216938	SURESH BATHAM
774.	ADUJ0216960	RAMESH VIJARNAYA
775.	ADUJ0217011	SUSHMA BADONIYA
776.	ADUJ0217027	NITIN KUMAR JAIN
777.	ADUJ0217053	SATYNARAYAN CHOUHAN

- महत्वपूर्ण टीपः—** 1. सूची में दर्शाएं गए प्रत्याशियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि प्रत्याशी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा-2015, के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी अर्हता समाप्त कर दी जाएगी।
2. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा-2015 के आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र में यदि त्रुटि पूर्ण, अपूर्ण, असत्य, भ्रामक जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।
3. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
4. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा-2015 का परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटियां या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती हैं तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
6. प्रथम/द्वितीय प्रश्नपत्र में $2+2=4$ प्रश्न विलोपित करने के पश्चात् 296 प्रश्नों के कुल 592 अंकों के प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम सूची तैयार की गई है।
7. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा का परीक्षा परिणाम आवेदक आयोग की बेवसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देख सकेंगे एवं इसका प्रकाशन रोजगार और निर्माण के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक।

(626-A)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरार, जिला ग्वालियर

प्र.क्र. 03/2015-16/बी-113(1).

दिनांक 05 अगस्त, 2016

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का तीसरा) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिए]

यतः कि के. पी. सिंह पुत्र हाकिम सिंह, निवासी मिलिट्री हॉस्पिटल चौराहा, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05 सितम्बर, 2016 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दें जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय मुरार, लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 05 सितम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता : Live Genome Foundation-The Institute of Live Stock Genetics & Genomics C/o विशेषभर सिंह तोमर, गली नं.-2, कवि नगर-वायु नगर, गोला का मंदिर, ग्वालियर।
2. चल सम्पत्ति : 10,000/- रुपये।
3. अचल सम्पत्ति : निरंक।

गणेश जायसवाल,
पंजीयक।

(628)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी खुरई, जिला सागर

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास,
खुरई, जिला सागर मध्यप्रदेश के समक्ष।

चौंकि श्री भरतलाल यादव पिता दुर्गादास एवं अन्य, निवासी-शिवाजी वार्ड खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे समक्ष न्यायालय में दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को विचार को लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी खुरई, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासीगण या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन दिनांक के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित प्रस्तुत करना और कोई मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

- | | |
|---------------------|---|
| लोक न्यास का नाम .. | राष्ट्रीय व्यायाम शाला शिवाजी वार्ड, खुरई। |
| सम्पत्ति का विवरण— | |
| चल सम्पत्ति .. | 1000-00 रुपया। |
| अचल सम्पत्ति .. | व्यायाम शाला खसरा नम्बर 543/2 रकबा 106.50 मीटर
400 वर्गफुट में स्थित एक कमरा पक्का वर्तमान मूल्य पच्चीस लाख रुपया। |

अरुण कुमार सिंह,
पंजीयक।

(629)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, (महू) डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर
महू, दिनांक 03 अगस्त, 2016

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./1849/री.महू/पं.सा.न्या./2015-16.—श्री जमदग्नि आश्रम जानापाव न्यास ट्रस्ट, पता जनकेश्वर मंदिर श्री जमदग्नि आश्रम जानापाव ग्राम बड़कुआ ग्राम पंचायत राजपुरा कुटी, तहसील महू, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) की ओर से कार्यकारी न्यासी महन्त श्री बद्रीनन्द जी बृह्माचारी गुरु माधवनन्द जी बृह्माचारी व अन्य निवासी जनकेश्वर मंदिर श्री जमदग्नि आश्रम जानापाव ग्राम बड़कुआ ग्राम पंचायत राजपुरा कुटी, तहसील महू, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

“परिशिष्ट”

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

संस्था का नाम	:	श्री जमदग्नि आश्रम जानापाव न्यास ट्रस्ट.
पता	:	जनकेश्वर मंदिर श्री जमदग्नि आश्रम जानापाव ग्राम बड़कुआ, ग्राम पंचायत राजपुरा कुटी, तहसील महू, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- अक्षरी ग्यारह हजार रुपये मात्र.

आज दिनांक 03 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

संदीप जी. आर., I.A.S.

(630)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, आष्टा, जिला सीहोर

प्र.क्र.1/बी-113/2015-16.

आष्टा, दिनांक 05 अगस्त, 2016

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

न्यास का नाम	:	“स्व. श्री रत्नलाल अग्रवाल श्रीनाथ मंदिर ट्रस्ट आष्टा का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन के संबंध में”
--------------	---	---

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अध्यक्ष स्व. श्री सेठ रत्नलाल अग्रवाल, श्रीनाथ मंदिर ट्रस्ट आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं अभिषेक गेहलोत, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट आष्टा, जिला सीहोर मध्यप्रदेश अपने न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथा अपेक्षित जॉच करना प्रस्तावित करता हूँ कि :-

- उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उनके बारे में आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो उन्हें इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह

की अवधि में इस न्यायालय में लिखित रूप में दो प्रतियों में अपनी आपत्ति अथवा सुझाव मेरे समझ व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अधिकारी के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि 30 दिवस समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा। इस प्रकरण में प्रस्तुत होने वाली आपत्तियों पर सुनवाई के लिये...../...../2016 नियत की जाती है। नियत दिनांक इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्तियों एवं सुझावों के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करें।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : “स्व. श्री रत्नलाल अग्रवाल, श्रीनाथ मंदिर ट्रस्ट आष्टा, जिला सीहोर मध्यप्रदेश”।
2. पता : श्रीनाथ जी मंदिर पेड़ी आष्टा, जिला सीहोर मध्यप्रदेश।
3. अचल सम्पत्ति : मंदिर भवन व मंदिर परिसर में स्थित बगिया।
4. चल सम्पत्ति : चांदी के बर्तन, भगवान के स्वर्णभूषण पूजा के सामान व अन्य।

आज दिनांक 05 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

अभिषेक गोहलोत,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार।

(631)

न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर, जिला शाजापुर

प्र.क्र.02/बी-113/2015-16.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1952 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास शुजालपुर, जिला शाजापुर के समक्ष।

चूंकि श्री गोपाल गौ शाला न्यास शाजापुर की ओर से अधिकृत कार्यकारी न्यासी सदस्य श्री सूरजमल सांकलिया पिता श्री मूलचंद्र सांकलिया, निवासी-कसेरा बाजार, शाजापुर एवं बालकृष्ण माहेश्वरी पिता श्री जयकिशन माहेश्वरी, निवासी शाजापुर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है। सर्व-संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, व इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट “अ”

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण

भारतीय स्टेट बैंक शाखा ए.बी. रोड, शाजापुर में खाता क्रमांक 10967880162 में जमा राशि रुपये 59,521/- एवं एफ. डी. क्रमांक 8077937879-6 में राशि 2,21,000/-जमा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., शाजापुर में खाता क्रमांक 671002035155 में जमा राशि 75,438/- कुल समस्त राशि 2,96,421/- रुपये।

परिशिष्ट “ब”

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री गोपाल गौ शाला न्यास शाजापुर के स्वामित्व की भूमि ग्राम कांजा में कुल भूमि 12.27 हे. जिसका सर्वे नं. व रकवा निम्न है:- सर्वे क्रमांक 781 रकवा 1.44, 793 रकवा 0.19, 795 रकवा 9.54 तथा 803 रकवा 1.10 कुल किता 04 कुल रकवा 12.27 हे. तथा भवन क्रमांक 35 नई सड़क शाजापुर न्यास की सम्पत्ति होगी।

आज दिनांक.....अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(642)

प्र.क्र.01/बी-113/2015-16.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1952 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास शुजालपुर, जिला शाजापुर के समक्ष।

चूंकि माँ गायत्री चेतना केन्द्र बेरछा की ओर से अधिकृत मुख्य प्रबंध ट्रस्टी श्री बालकृष्ण पिता डॉ. भागीरथसिंह, निवासी ग्राम बेरछा, जिला शाजापुर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है। सर्व-संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, व इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट “अ”

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण

नगदी राशि रूपये 10,000/-.

परिशिष्ट “ब”

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण

अखिल भारतीय गायत्री परिवार युग निर्माण योजना वेदमाता गायत्री ट्रस्ट केन्द्र मथुरा शाखा बेरछा के स्वत्व की ग्राम बेरछा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2136 रक्का 0.12 बीसवा है जिसमें वर्तमान में 36 बाय 45 वर्ग फीट भूमि पर भवन निर्माणाधीन निर्मित माँ गायत्री चेतना केन्द्र बेरछा, तहसील व जिला शाजापुर मध्यप्रदेश।

आज दिनांक.....अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

रणजीत कुमार,

(642-A)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, बड़वाह

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश चराई नियम-1986 के तहत यह प्रकाशित किया जाता है कि बड़वाह सामान्य वनमण्डल के निम्नलिखित वन क्षेत्र 1 जुलाई, 2016 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे, जो चरवाहे अथवा पशु स्वामी वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। उनके विरुद्ध वन नियमावली अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी :—

(अ) दिनांक 01-07-2016 से चराई से बंद कूप (सामान्य वन मण्डल बड़वाह)

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	पातन श्रेणी	वर्किंग सर्कल (कार्य वृत्त)	कूप नं.	कक्ष क्र.	रक्का (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बड़वाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VI	272	140.200
2.			सुरतीपुरा	VI	277	166.500
3.			कडियाकुण्ड	VI	283	211.810
4.			सुलगांव	VI	258	145.350
5.			कुण्डी	VI	277	63.030

1	2	3	4	5	6	7
6.	बडवाह	सुधार पातन	पलास्या	VI	244	128.250
7.			माधवपुरा	VI	251	144.680
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VI	137	177.300
9.			बडकीचौकी	VI	75	170.740
10.			बलवाडा	VI	98	123.150
11.			कालापाठा	VI	117, 118, 119	179.710
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VI	169	195.220
13.			चैनपुरा	VI	159	113.400
14.			ओखला	VI	146	166.250
15.			कोदवार	VI	191	95.700
16.			काटकूट	VI	194	157.810
17.			बडेल	VI	207	137.210
18.			मेंहदीखेडा	VI	213	137.250
19.	काकड़ा	सुधार पातन	काकड़ा	VI	48	101.920
20.	बडवाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	VI	263	70.795
21.			मुरल्ला	VI	142	89.550
22.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	VI	96	94.055
23.			देवगढ	VI	92	91.570
24.	काकड़ा	पुर्नस्थापना	गढी	VI	3	97.420
25.			गुठानिया	VI	16	91.820
26.			काकड़ा	VI	21	97.420
27.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	VI	31	81.388
28.			बेकल्या	VI	39	144.406
29.			गोवर्धनपुरा	VI	43	97.090
30.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	VI	56	139.300
31.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	प्रेमपुरा	VI	71	78.080
32.	सनावद	पुर्नस्थापना	बेडिया	VI	324	113.040
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	VI	302	146.215
34.			नलवट	VI	312	110.450
35.			सनावद	VI	291	255.215
36.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VII	271	228.820
37.			सुरतीपुरा	VII	277	113.560
38.			कडियाकुण्ड	VII	223	180.000
39.			सुलगांव	VII	256	142.200

1934

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2016

[भाग 3 (1)]

1	2	3	4	5	6	7
40.	बडवाह	सुधार पातन	कुण्डी	VII	224	111.150
41.			पलास्या	VII	244	111.370
42.			माधवपुरा	VII	251	136.570
43.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VII	131	197.900
44.			बडकीचौकी	VII	87	199.470
45.			बलवाडा	VII	95	157.190
46.			कालापाठा	VII	125	140.800
47.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VII	166	153.790
48.			चैनपुरा	VII	160	130.720
49.			ओखला	VII	180	155.030
50.			कोदवार	VII	191	117.600
51.			काटकुट	VII	198	198.900
52.			बडेल	VII	207	157.950
53.			मेंहदीखेडा	VII	213	156.340
54.	काकड़ा	सुधार पातन	काकड़ा	VII	48	168.054
55.	बडवाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	VII	267	53.535
56.			मुरल्ला	VII	176	224.550
57.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	VII	96	70.875
58.			देवगढ	VII	89	79.830
59.	काकड़ा	पुर्नस्थापना	गढी	VII	5	157.950
60.			गुठानिया	VII	15	40.950
61.			काकड़ा	VII	18	128.580
62.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	VII	30	96.010
63.			बेकल्या	VII	40	126.370
64.			गोवर्धनपुरा	VII	53	176.090
65.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	VII	63	108.670
66.			प्रेमपुरा	VII	72	102.565
67.	सनावद	पुर्नस्थापना	बेडिया	VII	325	59.000
68.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	VII	302	165.855
69.			नलवट	VII	312	115.383
70.			सनावद	VII	291	177.085
71.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VIII	268	115.850
72.			सुरतीपुरा	VIII	269	133.420
73.			कडियाकुण्ड	VIII	236	193.280

1	2	3	4	5	6	7
74.	बडवाह	सुधार पातन	सुलगांव	VIII	237	125.325
75.			कुण्डी	VIII	233	194.870
76.			पलास्या	VIII	254	190.300
77.			माधवपुरा	VIII	252	148.500
78.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VIII	132	216.460
79.			बडकीचौकी	VIII	62	152.850
80.			बलवाडा	VIII	102	157.110
81.			कालापाठा	VIII	124	114.280
82.	काटकूट	सुधार पातन	गवलंगपाटी	VIII	167	138.750
83.			चैनपुरा	VIII	161	77.400
84.			ओखला	VIII	174	79.870
85.			कोदवार	VIII	212	148.820
86.			काटकूट	VIII	196	146.340
87.			बडेल	VIII	200	154.340
88.			मेंहदीखेडा	VIII	214	133.870
89.	काकड़ा	सुधार पातन	काकडा	VIII	49	94.340
90.	बडवाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	IX	267	74.250
91.	काटकूट	पुर्नस्थापना	मुरल्ला	IX	178	147.820
92.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	IX	95	69.867
93.			देवगढ	IX	92	70.210
94.	काकड़ा	पुर्नस्थापना	गढी	IX	3	115.660
95.			गुठानिया	IX	15	82.450
96.			काकडा	IX	18	130.770
97.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	IX	35	98.800
98.			बेकल्या	IX	34	161.900
99.			गोवर्धनपुरा	IX	47	142.870
100.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	IX	63	126.450
101.			प्रेमपुरा	IX	72	105.970
102.	सनावद	पुर्नस्थापना	बेडिया	IX	326	55.070
103.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	IX	303	258.150
104.			नलवट	IX	317	115.520
105.			सनावद	IX	292	205.970
106.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	IX	268	124.220
107.			सुरतीपुरा	IX	269	167.400

1936

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2016

[भाग 3 (1)]

1	2	3	4	5	6	7
108.	बडवाह	सुधार पातन	कडियाकुण्ड	IX	221	126.900
109.			सुलगांव	IX	234	140.895
110.			कुण्डी	IX	233	180.900
111.			पलास्या	IX	255	85.500
112.			माधवपुरा	IX	245	167.390
113.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	IX	129	80.440
114.			बडकीचौकी	IX	91	176.760
115.			बलवाडा	IX	102	142.200
116.			कालापाठा	IX	120	149.060
117.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	IX	165	147.150
118.			वैनपुरा	IX	161	129.380
119.			ओखला	IX	162,175	284.980
120.			कोदवार	IX	212	148.500
121.			काटकूट	IX	196	122.170
122.			बडेल	IX	197	209.250
123.			मेहंदीखेडा	IX	216	163.490
124.	काकड़ा	सुधार पातन	काकड़ा	IX	52	206.550
125.	बडवाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	X	262	52.200
126.	काटकूट	पुर्नस्थापना	मुरल्ला	X	179	96.750
127.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	X	114	153.100
128.			देवगढ	X	88	132.530
129.	काकड़ा	पुर्नस्थापना	गढी	X	7	87.720
130.			गुठानिया	X	14	102.380
131.			काकड़ा	X	19	87.750
132.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	X	29	104.310
133.			बेकल्या	X	35	177.225
134.			गोवर्धनपुरा	X	50	103.830
135.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	X	63	103.740
136.			प्रेमपुरा	X	67	119.470
137.	सनावद	पुर्नस्थापना	बेडिया	X	328	66.240
138.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	X	300	157.950
139.			नलवट	X	317	123.520
140.			सनावद	X	293	245.470
141.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	X	274	174.600

1	2	3	4	5	6	7
142.	बडवाह	सुधार पातन	सुरतीपुरा	X	278	121.950
143.			कडियाकुण्ड	X	221	124.870
144.			सुलगांव	X	239	145.120
145.			कुण्डी	X	225	161.770
146.			पलास्या	X	221	146.470
147.			माधवपुरा	X	247	144.450
148.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	X	138	115.980
149.			बडकीचौकी	X	77	176.760
150.			बलवाडा	X	106	154.120
151.			कालापाठा	X	122	159.680
152.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	X	150	135.270
153.			चैनपुरा	X	159	146.350
154.			ओखला	X	140	151.870
155.			कोदवार	X	209	122.400
156.			काटकूट	X	195	109.800
157.			बडेल	X	202	214.170
158.			मेंहदीखेडा	X	217	92.450
159.	काकड़ा	सुधार पातन	काकड़ा	X	25	118.970
160.	बडवाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	XI	262	40.160
161.	काटकूट	पुर्नस्थापना	मुरल्ला	XI	184	282.670
162.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	XI	116	161.450
163.			देवगढ	XI	85	139.050
164.	काकड़ा	पुर्नस्थापना	गढी	XI	P 331	95.400
165.			गुठानिया	XI	13	119.150
166.			काकड़ा	XI	27	121.280
167.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	XI	2	135.220
168.			बेकल्या	XI	35	134.273
169.			गोवर्धनपुरा	XI	58	125.120
170.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	XI	64	132.530
171.			प्रेमपुरा	XI	67	98.230
172.	सनावद	पुर्नस्थापना	सनावद	XI	329	75.020
173.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	XI	304	211.720
174.			नलवट	XI	318	157.050
175.			सनावद	XI	294	150.175

1	2	3	4	5	6	7
176.	बडवाह	सुधार पातन	जंयतीमाता	XI	274	136.730
177.			सुरतीपुरा	XI	280	129.670
178.			कडियाकुण्ड	XI	222	119.470
179.			सुलगांव	XI	238	95.175
180.			कुण्डी	XI	230	78.820
181.			पलास्या	XI	243	104.450
182.			माधवपुरा	XI	247	81.440
183.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	XI	139	194.28
184.			बडकीचौकी	XI	77	152.710
185.			बलवाडा	XI	107	121.830
186.			कालापाठा	XI	111	106.200
187.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	XI	170	98.550
188.			चैनपुरा	XI	155	117.000
189.			ओखला	XI	141	186.300
190.			कोदवार	XI	209	136.800
191.			काटकूट	XI	195	94.730
192.			बडेल	XI	201	171.450
193.			मेंहदीखेडा	XI	217	134.240
194.	काकड़ा	सुधार पातन	काकडा	XI	25	127.250
195.	बडवाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	XII	P 331	26.450
196.			मुरल्ला	XII	185	140.920
197.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	XII	115	69.717
198.			देवगढ	XII	93	159.820
199.	काकड़ा	पुर्नस्थापना	गढी	XII	8	86.660
200.			गुठानिया	XII	11	105.070
201.			काकडा	XII	27	96.970
202.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	XII	31	97.650
203.			बेकल्या	XII	36	167.125
204.			गोवर्धनपुरा	XII	51	148.159
205.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	XII	64	138.600
206.			पाडल्या	XII	68	93.799
207.	सनावद	पुर्नस्थापना	बेडिया	XII	330	44.560
208.	सनावद	मृदा एवं जल	अंजनगांव	XII	305	270.670
209.		संरक्षण	नलवट	XII	319	121.840
210.			सनावद	XII	294	146.375

(ब) दिनांक 1-7-2016 से चराई से प्रतिबंधित वृक्षारोपण क्षेत्र
सामान्य वनमण्डल, बड़वाह

क्रमांक	परिस्थेत्र	वृक्षारोपण क्षेत्रों का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	बड़वाह	उर्जा वन	247-I	2010-11	10.000
2.	बड़वाह	उर्जा वन	247-II	2010-11	10.000
3.	बड़वाह	उर्जा वन	264	2010-11	10.000
4.	बड़वाह	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	147	2010-11	20.000
5.	बड़वाह	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	264	2010-11	20.000
6.	बड़वाह	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	263	2015-16	5.000
7.	बलवाडा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	127	2009-10	20.000
8.	बलवाडा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	132	2009-10	20.000
9.	बलवाडा	उर्जा वन	109-I	2010-11	10.000
10.	बलवाडा	उर्जा वन	109-II	2010-11	10.000
11.	बलवाडा	उर्जा वन	109-III	2010-11	10.000
12.	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	127	2010-11	20.000
13.	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	132	2010-11	20.000
14.	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	108	2012	40.000
15.	बलवाडा	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	97	2010-11	20.000
16.	बलवाडा	एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	130	2010-11	50.000
17.	बलवाडा	मिश्रित वृक्षारोपण	113	2013-14	40.000
18.	बलवाडा	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	84	2015-16	10.000
19.	बलवाडा	एफडीए योजनांतर्गत	84	2015-16	20.000
20.	काटकूट	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	176	2009-10	25.000
21.	काटकूट	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	147	2012	50.000
22.	काटकूट	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	176	2012	50.000
23.	काटकूट	R.K.V.Y.	175	2010-11	10.000
24.	काटकूट	उर्जा वन	147-I	2010-11	10.000
25.	काटकूट	उर्जा वन	147-II	2010-11	10.000
26.	काटकूट	बांस वृक्षारोपण	185	2010-11	50.000
27.	काटकूट	मिश्रित वृक्षारोपण	149, 150	2010-11	30.000
28.	काटकूट	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	176	2010-11	25.000
29.	काटकूट	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	185	2010-11	100.000
30.	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	194	2015-16	10.000
31.	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	177	2015-16	5.000

1	2	3	4	5	6
32.	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	153	2015-16	10.000
33.	काटकूट	एफ. डी. ए. योजनांतर्गत	181	2015-16	50.000
34.	पाडल्या	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	68	2012	50.000
35.	पाडल्या	R.K.V.Y.	72	2010-11	10.000
36.	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-I	2010-11	10.000
37.	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-II	2010-11	10.000
38.	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-III	2010-11	10.000
39.	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-IV	2010-11	10.000
40.	पाडल्या	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	65	2010-11	20.000
41.	पाडल्या	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	81	2015-16	10.000
42.	मण्डलेश्वर	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	36	2012	50.000
43.	मण्डलेश्वर	R.K.V.Y.	36	2010-11	10.000
44.	काकडदा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	3	2012	60.000
45.	काकडदा	R.K.V.Y.	13	2010-11	10.000
46.	काकडदा	एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	2	2010-11	50.000
47.	काकडदा	एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	16	2012	50.000
48.	काकडदा	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	14	2010-11	20.000
49.	सनावद	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	325	2012	50.000
50.	सनावद	R.K.V.Y.	288	2010-11	10.000
51.	सनावद	मिश्रित वृक्षारोपण	291	2013-14	50.000
52.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद से वैकल्पिक वृक्षारोपण	45	2010-11	28.980
53.	काटकूट	केम्पा मद वैकल्पिक वृक्षारोपण	186,185	2010-11	211.358
54.	बलवाड़ा	केम्पा मद वैकल्पिक वृक्षारोपण	104	2010-11	48.512
55.	सनावद	केम्पा मद मोखनगांव नहर किनारे वृक्षारोपण.	295, 296, 296, 299 ख. नं. 147, 150, 232, 328	2011-12 कि.मि.	19.574
56.	सनावद	केम्पा मद सागडियाव नहर किनारे वृक्षारोपण.	291	2011-12 कि.मि.	0.700
57.	बड़वाह	केम्पा मद 220 के. व्ही. मल्टी सर्किट विद्युत लाईन के नीचे औषधीय पौधारोपण.	277, 279, 284,285	2011-2012	3.560
58.	बड़वाह	केम्पा मद 220 के. व्ही. सनावद टेप पाईट विद्युत लाईन के नीचे औषधीय वृक्षारोपण.	277,279, 284	2011-2012	3.020
59.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद 220 के. व्ही. पीथमपुर राजगढ़ औषधीय वृक्षारोपण.	41	2011-2012	4.345
60.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद वैकल्पिक वृक्षारोपण	36	2014-15	0.416
61.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद 400 के. व्ही. मालवा टी. पी. एच. विद्युत लाईन के नीचे औषधीय वृक्षारोपण.	41	2014-15	1.100

1	2	3	4	5	6
62.	बड़वाह	केम्पा मद बड़वाह-सिद्धवरकूट वायपास मार्ग के दोनों ओर किनारे पर वृक्षारोपण।	256, 266	2015-16	1.400 कि.मी.
63.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना ख.नं.60/1/1 क		2014-15	5.000

(स) प्रतिबंधित 01-07-2016 से चराई से प्रतिबंधित घांस बीड (सामान्य वनमण्डल बड़वाह)

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	घांस बीड का नाम	क्षेत्रफल हेक्टर
1	2	3	4
1.	मण्डलेश्वर	1. खुशालसिंग वाली	22.662
2.		2. तोपखान वाली	36.826
3.		3. गोस्यावाली	8.095
4.		4. लग्नीवाली	7.294
5.		5. बहेडावाली	8.712
6.		6. कामद वाली	3.237
7.		7. हिरया वाली	8.903
8.		8. काजी वाली	5.899
9.		9. भगवानसिंग वाली	11.735
10.		10. नवाब वाली	32.374
11.		11. म. वाली	7.284
12.		12. सांगया वाली	12.759
13.		13. भट्याण वाली	3.643
14.		14. खालबेडी वाली	15.378
15.		15. भूरा पाण्डु वाली	3.643
16.		16. गवालबेडी वाली	15.378
17.		17. भूरा पाण्डु वाली	16.996
18.		18. कुण्डाल वाली	6.070
19.		19. रुखया वाली	2.428
20.		20. अजू वाली	4.047
21.		21. कगगा वाली	9.712
22.		22. रमजू वाली	0.809
23.	पाडल्या	23. बसनगांव वाली	4.047
24.		24. भादलीपुरा	205.000
25.		25. करोंदिया	441.107
26.	काटकूट	26. लेण्डारी	432.672
27.		27. ओखला	100.000

1	2	3	4
28.	काटकूट	28. मंगलसिंग वाली	33.183
29.	बलवाडा	29. चिचला	10.000
30.		30. बिराली (भाग-1, भाग-2)	270.474
31.	सनावद	31. बिजासन (भाग-1, भाग-2)	514.760

(द) वन ग्रामों में बाहर के पशुओं की चराई के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र (सा. वनमण्डल बड़वाह)

अ.क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वन ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	रक्खा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1.	बड़वाह	कुण्डी	989	298.048
2.	बड़वाह	कोठावां	990	99.957
3.	बड़वाह	मोयदा (वीरान)	991	304.558
4.	बलवाडा	नयापुरा	983	202.088
5.	बलवाडा	बामनपुरी	984	30.214
6.	बलवाडा	मधुपुरा (वीरान)	985	169.451
7.	बलवाडा	कालापाठा	988	175.233
8.	काटकूट	चेनपुरा	986	162.033
9.	काटकूट	गवलनपाटी	987	41.349
योग ..				1487.931

ए. एस. तिवारी,
वनमण्डलाधिकारी.

(627)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

सांई बालाजी प्राथ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर,

पो. महेश्वर, तहसील....., जिला खरगौन.

सांई बालाजी प्राथ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1627, दिनांक 24 जनवरी, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में ‘डी’ वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण मध्यम की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(595-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

श्री मोतीराम/शोभाराम शिव शक्ति बीज उत्पादक

सहकारी समिति मर्या., बागांदी, तहसील....., जिला खरगौन।

शिव शक्ति बीज उत्पादक, सहकारी समिति मर्या., बागांदी, तहसील कसरावट, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 133, दिनांक 27 सितम्बर, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित हैः—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में ‘डी’ वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक।

(617)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मुरैना

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., स्याबटा,

यह कि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., स्याबटा, जिसका पंजी. क्र./डीआरएमएन.ए./1141, दिनांक 30 सितम्बर, 1994, जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं :—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।

2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-वी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बाबत में दिनांक 11 अगस्त, 2016 के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(596)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतन बसई,

तहसील अम्बाह, जिला मुरैना।

यह कि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतन बसई, जिसका पंजी. क्र./ए.आर./एम.ए./1345, दिनांक 25 अगस्त, 2008 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं :—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-वी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बाबत में दिनांक 11 अगस्त, 2016 के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(596-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

जय माता दी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था, दत्तपुरा मुरैना।

यह कि जय माता दी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था, दत्तपुरा मुरैना, जिसका पंजी. क्र./ए.आर./एम.ए./786, दिनांक 13 सितम्बर, 1990 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं :—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।

2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-वी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बाबत में दिनांक 11 अगस्त, 2016 के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(596-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

मारुति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरैना।

यह कि मारुति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिसका पंजी. क्र./ए.आर./एम.ए./468, दिनांक 20 फरवरी, 1994 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं :—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-वी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बाबत में दिनांक 11 अगस्त, 2016 के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(596-C)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., ओरेठी, जिला मुरैना।

यह कि महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., ओरेठी, जिला मुरैना, जिसका पंजी. क्र./ए.आर./एम.ए./1219, दिनांक 20 अप्रैल, 2004 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं :—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।

2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबर्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-वी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बाबत में दिनांक 11 अगस्त, 2016 के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(596-D)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

जय माँ कैलादेवी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़।

यह कि जय माँ कैलादेवी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़., जिसका पंजी. क्र./ए.आर./ए.म.ए./1379, दिनांक 24 फरवरी, 2012 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं :—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कर्दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबर्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-वी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बाबत में दिनांक 11 अगस्त, 2016 के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(596-E)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

जय माँ शीतला महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., चुरैला, जिला मुरैना।

यह कि जय माँ शीतला महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., चुरैला, जिला मुरैना., जिसका पंजी. क्र./ए.आर./ए.म.ए./1347, दिनांक 17 मार्च, 2008 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं :—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कर्दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।

2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबर्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-वी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बाबत में दिनांक 11 अगस्त, 2016 के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(596-F)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,
हॉकर्स एण्ड वैन्डर्स उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना।

यह कि हॉकर्स एण्ड वैन्डर्स उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना., जिसका पंजी. क्र./ए.आर./ए.एन.ए./1056, दिनांक 06 नवम्बर, 1995 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं :—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबर्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-वी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बाबत में दिनांक 11 अगस्त, 2016 के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(596-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,
अम्बरीय शक्ति चलित करघा सह. संस्था मर्या., अम्बाह.

यह कि अम्बरीय शक्ति चलित करघा सह. संस्था मर्या., अम्बाह, जिसका पंजी. क्र./ए.आर./ए.एन.ए./27, दिनांक 27 अप्रैल, 1989 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं :—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।

2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबर्धन के लिये कार्य नहीं करती है।
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-वी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बाबत् में दिनांक 11 अगस्त, 2016 के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

आर. सी. शर्मा,
उपायुक्त सहकारिता।

(596-H)

कार्यालय परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा

दिनांक 19 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.01—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./परि./2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 एवं आदेश क्र./परि./2016/1613, दिनांक 13 मई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	ज्योति बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	396/17-01-1981
2.	कविता बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांव	512/10-04-1995
3.	जवाहर बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	249/27-02-1965
4.	सुभाष बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	219/27-02-1965
5.	इंडियन कुक्कड उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगांव	758/26-01-2011
6.	सर्वोदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सौंसर	751/03-02-2011
7.	कल्पतरू फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथ. सहकारी समिति मर्या., सौंसर	906/10-01-2014
8.	मौं भगवती बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सर्वासांवरी	907/10-01-2014
9.	श्री विठ्ठल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बेरडी	908/10-01-2014
10.	ठिया बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रामाकोना	909/10-01-2014
11.	वाटिका बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कोदाडोगरी	910/10-01-2014
12.	श्री कृष्ण बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मोहगांव	918/10-01-2014
13.	आदर्श फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भुम्मा	920/10-01-2014
14.	श्री दत्त बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खापरखेडा	924/10-01-2014
15.	जय हरि किसान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भुम्मा	982/10-01-2014

1	2	3
16.	श्री आदर्श बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बेलगांव	983/10-01-2014
17.	उनत बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टूनवाडा	984/10-01-2014
18.	जय माँ गायत्री बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पंधराखेडी	990/10-01-2014
19.	श्री हरि कृष्ण बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सौंसर	998/10-01-2014
20.	जय अम्बे बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	67/12-03-1984
21.	दुर्ग उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भुम्मा	816/10-01-2014
22.	लक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	58/03-03-1984
23.	दि मोहगांव बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांव हवेली	564/31-01-1947
24.	पंचशील बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	255/22-03-1965
25.	शिवाजी बुनकर सहकारी समिति मर्या., लोधीखेडा	60/03-03-1984
26.	भोलेनाथ बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांवहवेली	377/25-11-1978
27.	कुशल बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांवहवेली	66/09-03-1984
28.	लोधीखेडा खादी उद्योग सहकारी समिति मर्या., लोधीखेडा	37/07-03-1960
29.	दुर्ग उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरडी	776/01-03-2012
30.	दुर्ग उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगांव	813/10-01-2014
31.	ओम सांईनाथ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बडोसा	977/10-01-2014
32.	सांई बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जाम (सांवली)	981/10-01-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. सी. माहोरे,

(598)

परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., दतिया

दतिया, दिनांक 01 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था./2015-16/58.— जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक डी.टी.ए./एच.ओ./93, दिनांक 14 जनवरी, 1963 है को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परि./2016/289, ग्वालियर, दिनांक 19 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने दावों को 31 जुलाई, 2016 तक मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 31 जुलाई, 2016 तक किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 01 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

एच. पी. जाटव,
परिसमापक।

(599)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./समा.क्यू.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 833/834/835/836/837, दिनांक 01 जून, 2016 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश
			क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध सहकारी संस्था, रजहा	557/30-03-2009	833/01-06-2016
2.	दुग्ध सहकारी संस्था, खमरेही	584/30-09-2010	834/01-06-2016
3.	दुग्ध सहकारी संस्था, बेला	610/10-10-2010	835/01-06-2016
4.	दुग्ध सहकारी संस्था, वसुधा	631/23-10-2010	836/01-06-2016
5.	दुग्ध सहकारी संस्था, नौबस्ता	632/23-10-2010	837/01-06-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राजेश श्रीवास्तव,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक।

कार्यालय सहायक-पंजीयक, सहकारी, समिति, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैं :—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन
			क्रमांक/दिनांक
1.	आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., बागदा	184/05-06-1970	288/28-01-1980

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेचित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियाँ बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

तरुणा ठाकुर,

(601) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैः-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., जनोलीबुजुर्ग	151/15-04-1968	1580/29-08-2002

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेचित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियाँ मात्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियाँ बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

कृष्णा पथरोड़,

(602) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सह. वि. अधि. सहकारी समितियाँ, वनखेड़ी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्रमांक	परिसमापन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या., पचमढ़ी	2677/18-01-1999	337/07-03-2015
2.	माँ शरदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मरकाढाना	26/14-02-2003	337/07-03-2015
3.	श्री मातराम साख सह. समिति मर्या., बिचुआ	3042/25-08-2009	337/07-03-2015
4.	जय श्रीराम साख, मैंदाखेड़ा	3021/27-01-2009	337/07-03-2015
5.	माँ नर्मदा साख, नयागांव	3021/27-01-2009	337/07-03-2015
6.	विनायक साख सह., बाचावानी	2997/19-08-2008	337/07-03-2015

1	2	3	4
7.	जय बीजासेन साख सहकारी समिति, पडरईठाकुर	2940/01-06-2007	337/07-03-2015
8.	माँ भवानी साख, महगवां	-	337/07-03-2015
9.	राधिका महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, परसवाडा	90/21-03-2007	337/07-03-2015
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पचुआ	2802/13-04-2004	337/07-03-2015
11.	माँ वैष्णव क्रय-विक्रय सह. समिति, परसवाडा	3047/29-04-2010	337/07-03-2015
12.	जन वर्षा साख, पिपरिया	100/13-10-2008	337/07-03-2015
13.	सतपुड़ा साख सहकारी समिति मर्या., पिपरिया	102/24-02-2009	337/07-03-2015
14.	माँ शारदा साख, पिपरिया	109/18-01-1999	337/07-03-2015
15.	नर्मदा साख सहकारी समिति, कलगवां	3005/05-09-2008	337/07-03-2015
16.	श्रीराम साख सहकारी समिति, खापरखेडा	2951/14-01-2008	337/07-03-2015
17.	नर्मदा शिक्षित बेरोजगार साख सह. समिति, पिपरिया	2905/25-01-2007	337/07-03-2015
18.	कृष्ण महिला साख सांडिया	2891/03-06-2006	337/07-03-2015
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, धनासरी	2452/08-01-2002	337/07-03-2015
20.	दुग्ध उत्पादक, गोविन्दनगर	3085/09-01-2013	337/07-03-2015
21.	दुग्ध उत्पादक, आमगांव	3070/10-04-2012	337/07-03-2015

उल्लेखित समितियों का उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के आदेश क्र./परि./2015/377, दिनांक 07-03-2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर में प्रमाण-पत्रों यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दिशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वप्रेष विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

एस. एस. पगारे,

सह. वि. अधि. व परिसमापक.

(603)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 22 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1242.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोटला, पंजीयन क्रमांक 1536, दिनांक 21 जनवरी, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात् संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है एवं पर्यवेक्षक द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है। इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम, का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोटला, पंजीयन क्रमांक 1536, दिनांक 21 जनवरी, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. खेर, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ इन्डौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(605)

देवास, दिनांक 22 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1244.—अनुप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 856, दिनांक 31 जुलाई, 1998 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात् संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था अध्यक्ष द्वारा दी गयी है। जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है एवं अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है। इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम, का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 856, दिनांक 31 जुलाई, 1998 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री प्रमोद तोमर, SCI को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(605-A)

देवास, दिनांक 22 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1243.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईलासखेडी, पंजीयन क्रमांक 1445, दिनांक 02 जुलाई, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात् संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है एवं पर्यवेक्षक द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है। इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम, का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईलासखेडी, पंजीयन क्रमांक 1445, दिनांक 02 जुलाई, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ इन्डौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक।

(605-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

क्र./परि./2016/603.—जिले में पंजीकृत विभिन्न सहकारी संस्थाओं के उन्हें अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने हेतु नीचे दर्शित विभिन्न कार्यालयीन पत्रों से सहकारी विधान की धारा-69 (2) के तहत् सूचना-पत्र जारी किया जाकर निर्धारित दिनांकों तक यथेष्ट उत्तर चाहा गया था। किन्तु निर्धारित दिनांकों तक इन संस्थाओं द्वारा कोई उत्तर/जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिंगरौली (म.प्र.) नीचे उल्लेखित निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के समक्ष में दर्शित अंकेक्षण अधिकारियों/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों/सहकारी निरीक्षकों/उप अंकेक्षकों को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि परिसमापनाधीन संस्था का सहकारी अधिनियम/नियम के प्रावधानों के तहत् परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर 30 दिवस में अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	सूचना पत्र क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	बोज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बकहुल	299/14-07-2015	108/20-01-2016	श्री ए. डी. बघेल, सह. निरीक्षक।

1	2	3	4	5
2.	ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., खैरा बेलहा	975/19-11-2004	490/24-06-2016	श्री व्ही. डी. मिश्रा, व. स. नि.
3.	ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., नौढिया	981/03-02-2005	491/24-06-2016	श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक.
4.	सिद्धार्थ क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., जयंत	931/20-01-2004	492/24-06-2016	श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक.
5.	विन्ध्य परिवहन सहकारी समिति मर्या., नवानगर (निगाही)	1029/26-2004-2006	493/24-06-2016	श्री वाई. बी. तेली, व. स. नि.
6.	विकास महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., चाचर.	38/22-11-2010	494/24-06-2016	श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक.
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रजमिलान	27/17-08-2010	495/24-06-2016	श्री पी. के. मिश्रा, व. स. नि.
8.	महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गेरुड़	62/20-01-2011	496/24-06-2016	श्री व्ही. डी. मिश्रा, व. स. नि.
9.	ओम ईटा एवं खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., कोल्हुआ.	1035/20-09-2006	498/24-06-2016	श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक.
10.	गंगा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., ओडगडी.	210/22-09-2014	500/24-06-2016	श्री आर. एस. गुप्ता, व. स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. परते,
उप-पंजीयक.

(612)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 28 जुलाई, 2016

क्र./परि./2016/712.—राजीव गांधी मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., निनोद, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 386, दिनांक 29 फरवरी, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./871, रायसेन, दिनांक 26 अगस्त, 2008 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु संस्था के परिसमापक को आवेदन प्रस्तुत करने के फलस्वरूप परिसमापक द्वारा विशेष आमसभा आयोजित की गई। विशेष आमसभा के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित कर संस्था के परिसमापक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। परिसमापक के प्रतिवेदन संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण इस कार्यालय के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री ए. के. रावत से कराया गया। श्री रावत द्वारा राजीव गांधी मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., निनोद, जिला रायसेन को पुनर्जीवित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः पारित प्रस्ताव/ठहराव एवं परिसमापक की अनुशंसा पर विचार कर सदस्यों की रूचि एवं आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., निनोद, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 386, दिनांक 29 फरवरी, 1988 को निम्नांकित शर्तों के अधीन पुनर्जीवित करता हूँ—

- संस्था अविलम्ब उपविधि के अनुसार कार्य करेगी।
- संस्था के द्वारा की गई प्रगति से कार्यालय को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।
- संस्था सहकारी विधान अंतर्गत अपना रिकार्ड संधारण कर अंकेक्षण करायेगी।

संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार तदर्थ संचालक मण्डल तीन माह के लिये नामांकित करता हूँ।

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. श्री रामदयाल | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती शीलाबाई | उपाध्यक्ष |

3.	श्री गप्पू खां	संचालक
4.	श्री नरेश	संचालक
5.	श्री दिनेश	संचालक
6.	श्री प्रकाश	संचालक
7.	श्री बदामसिंह	संचालक
8.	श्री विमलेश	संचालक
9.	श्री इकबाल खां	संचालक
10.	श्री कैलाश	संचालक
11.	श्रीमती भूरीबाई	संचालक

यह आदेश आज दिनांक/07/2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पदमुद्रा से जारी किया गया।

(613)

रायसेन, दिनांक 28 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/713.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1212, दिनांक 29 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नूरनगर, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 890, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक, रायसेन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नूरनगर, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 890, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(613-A)

रायसेन, दिनांक 28 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/714.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./889, दिनांक 01 जून, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छतारा, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 938, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक, रायसेन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छतारा, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 938, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 है, का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(613-B)

रायसेन, दिनांक 28 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/715.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1228, दिनांक 29 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीमपुर कंजई, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 902, दिनांक 29 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक, रायसेन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित महिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीमपुर कंजई, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 902, दिनांक 29 सितम्बर, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(613-C)

रायसेन, दिनांक 28 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/716.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1244, दिनांक 09 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उंटिया कलां, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 907, दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक, रायसेन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित महिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उंटिया कलां, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 907, दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(613-D)

रायसेन, दिनांक 28 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/717.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1242, दिनांक 29 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयागांव खुर्द, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 788, दिनांक 27 जून, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक, रायसेन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित महिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयागांव खुर्द, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 788, दिनांक 27 जून, 2002 है, का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(613-E)

रायसेन, दिनांक 28 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/718.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1213, दिनांक 29 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धौलश्री, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 921, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक, रायसेन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित महिला दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धौलश्री, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 921, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 है, का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक।

(613-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 22 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1676.—ग्रामीण मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, वि.ख. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्र. 1128, दिनांक 12 जुलाई, 2001 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/762, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 10 जुलाई, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया। परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/762, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए ग्रामीण मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, वि.ख. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्र. 1128, दिनांक 12 जुलाई, 2001 को पुनर्जीवित करता हूँ। साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री गोकुल	श्री बाबूलाल रैकवार	अध्यक्ष	7.	श्रीमती ममता	श्री गोकुल	सदस्य
2.	श्री नसीर खाँ	श्री दस्सू खाँ	उपाध्यक्ष	8.	श्री कशशी	श्री पूरन राय	सदस्य
3.	श्री शंकर	श्री बाबूलाल रैकवार	सदस्य	9.	श्री रमेश	श्री बाबूलाल रैकवार	सदस्य
4.	श्री सुनील	श्री भन्ना रैकवार	सदस्य	10.	श्री भीकम	श्री चउदा रैकवार	सदस्य
5.	श्री गौरी	श्री मुकन्दी रैकवार	सदस्य	11.	श्रीमती रेखा	श्री हरिराम रैकवार	सदस्य
6.	श्री रामप्रसाद	श्री मुतू	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार।

(614)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 1 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1)एवं (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./913.—ऊँ श्री सिद्धि विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनोरा, पोस्ट कैलोद, तहसील व जिला देवास (पंजीयन क्रमांक 06, दिनांक 17 फरवरी, 2014) के अध्यक्ष एवं सदस्यगण द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी को दिनांक 29 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत कर संस्था को नहीं चलाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु दी गई सहमति के आधार पर संस्था प्रशासक द्वारा भी पत्र दिनांक 01 मार्च, 2016 से संस्था का पत्र संलग्न कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। संस्था एवं प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्रों के परिप्रेक्ष्य में संस्था का रजिस्ट्रीकरण क्यों न समाप्त कर दिया जावे, इस सम्बन्ध में संस्था प्रशासक/प्रबंधक एवं समस्त सदस्यगण ऊँ श्री सिद्धि विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनोरा, पोस्ट कैलोद, तहसील व जिला देवास को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए (1) के परन्तुक के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/485/2016, उज्जैन, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 30 मई, 2016 नियत की गई किन्तु सूचना के बावजूद भी संरक्षण की ओर ऐसे नियत दिनांक को कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

अतः संस्था सदस्यों एवं प्रशासक द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, व्ही. पी. मारण, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के तहत मुझे प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ, साथ ही श्री बी. एल. गोठवाल, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास को अधिनियम की धारा-18-ए/क (2) के तहत संस्था की अस्तित्वों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन के लिए शासकीय समनुदेशीति नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

व्ही. पी. मारण,
संयुक्त पंजीयक।

(615)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 30 जुलाई, 2016

क्र./परि./2016/567.—आदिवासी चेतना वस्त्र सर्गें छ ओद्यो. मर्या., गडवाडा, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ पंजीयन क्र. 19 दिनांक 16 फरवरी, 1998 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/567, दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी. एल. बडोलें,
उप-पंजीयक।

(616)

कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)

के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	मांटगी महिला बहु. सह. संस्था देवास	45/04-02-2014	854/30-04-2016
2.	न्यू आदर्श प्राथ. उप. सह. भण्डार, सोनकच्छ	778/04-03-1995	803/30-04-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

ए. के. तिवारी,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(618)

कार्यालय परिसमापक, बादशाह प्राथमिक उपभोक्ता सहाकारी भण्डार मर्या., जिला देवास

देवास, दिनांक 15 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.-01—उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास के आदेश क्रमांक/परिसमापन/16/813, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 द्वारा बादशाह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 07 मार्च, 2001 को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गयी है।

पर्वत सिंह निंगवाल,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक।

(619)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 26 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू-1.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापक की नियुक्ति	परिसमापन में लाने
		क्रमांक एवं दिनांक	क्रमांक एवं दिनांक	का आदेश
1	2	3	4	5
1.	जय गुरुदेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सामगी	2038/22-01-2015	1412/30-06-2016	740/08-03-2016

अतः मैं, अशोक कुमार मालवीया, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना हो तो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके आधार अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों/प्रबंधक के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तिका, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 26 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है।

अशोक कुमार मालवीया,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(620)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्था मर्या., जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 02 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (अ) के अन्तर्गत]

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन में लाये जाने का
		क्रमांक/दिनांक	क्रमांक/दिनांक
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अंतरालिया	1938/12-12-2014	739/08-03-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरमिरा	1939/12-12-2014	739/08-03-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालरिया	1991/01-01-2015	739/08-03-2016
4.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बागोदा	1992/01-01-2015	739/08-03-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिपावरा	1994/01-01-2015	739/08-03-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरेणीपाता	1995/01-01-2015	739/08-03-2016

को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परि./739, उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वही-न होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. पटेल,

(621)

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

कार्यालय परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 01 अगस्त, 2016

क्र./परि./2016/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 330, दिनांक 05 फरवरी, 2016 एवं आदेश क्रमांक 577, दिनांक 25 फरवरी, 2016 से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	रल्प्रिंटिंग, बाईंडिंग व मेन्युफेक्चरिंग सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1653/24-11-2014	577/25-02-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बामोरा	675/28-05-1984	330/05-02-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गावड़ी	1506/03-05-1999	330/05-02-2016

अतः मैं, एन. के. अड्डानिया, उप-अंकेक्षक, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो, तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों का उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 01 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

एन. के. अड्डानिया,

(622)

परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 13 जुलाई, 2016

क्र./परि./2016/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रामातलाई	1792/28-09-2012	738/08-03-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, केशरिया	1801/06-11-2012	738/08-03-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरेडीबेरा	1802/09-11-2012	738/08-03-2016

1.	2.	3.	4.
4.	दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पचलासी	1804/13-12-2012	738/08-03-2016
5.	दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ावदा	1805/20-12-2012	738/08-03-2016
6.	दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी	1806/20-12-2012	738/08-03-2016
7.	दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भुवासा	1807/20-12-2012	738/08-03-2016

अतः मैं, पुरुषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो, तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों का उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 13 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

पुरुषोत्तम सोनी,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(623)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

क्र./परि./2016/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1210/01 जून, 2016 से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महाकाल रेल्वे कार्टेक्टर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1575/26-07-2001	1524/09-07-2013
2.	फल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., तराना	893/29-03-1990	1524/09-07-2013
3.	ईशान फल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., जैथल	1560/09-05-2001	1524/09-07-2013
4.	माँ चामुण्डा फल, साग-सब्जी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., नागदा 1501/27-03-1999	1524/09-07-2013	1524/09-07-2013
5.	माँ बीजासन कृषि उपज संग्रह विपणन सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1652/27-10-2004	1524/09-07-2013

अतः मैं, हेमलता चन्देल, सहकारी निरीक्षक, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो, तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों का उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 25 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

हेमलता चन्देल,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(624)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2016-भाद्र 4, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 मई, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अटेर, भिण्ड, मेहगांव, लहार (भिण्ड), ग्वालियर, घाटीगांव (ग्वालियर), मुंगावली (अशोकनगर), जतारा (टीकमगढ़), छतरपुर, राजनगर, बड़ामलहरा, वक्सवाहा (छतरपुर), अजयगढ, पन्ना, गुन्नौर (पन्ना), रघुराजनगर, रामपुरबघेलान, उचेहरा, रामनगर, मैहर (सतना), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ (अनूपपुर), जावरा, बाजना, रतलाम (रतलाम), थांदला, मेघनगर, झाबुआ (झाबुआ), सीहोर, आषा, नसरुल्लागांज, बुधनी (सीहोर), रायसेन गैरतगंज, बेगमगांज, गोहरगांज, बेरेली (रायसेन), सीहोरा, मझोली, कुंडम (जबलपुर), निवास, बिछिया, बुधरी, नारायणगांज (मंडला), छिन्दवाडा, जुनारदेव, परासिया, तामिया, हरई चांद (छिन्दवाडा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मिहोना (भिण्ड), डबरा (ग्वालियर), अशोकनगर (अशोकनगर), नौगांव (छतरपुर), आलोट (रतलाम), पेटलावद (झाबुआ), इच्छावर (सीहोर), सिलवानी, बाढ़ी (रायसेन), नैनपुर, मंडला (मंडला), सौंसर, अमरवाडा, बिछुआ, मोहखेडा (छिन्दवाडा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, सीहोर, सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.— ..

4. फसल स्थिति.— ..

5. कटाई.— ..

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, रीवा, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाजिक सूचना-पत्र, समाहांत बुधवार, दिनांक 11 मई, 2016

जिला/तहसीलें	1. समाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	3.0				
2. भिण्ड	15.0				
3. गोहद	3.4				
4. मेहगांव	3.2				
5. लहार	4.2				
6. मिहोना } 7. रौन } 7. रौन } 7. रौन }	28.0				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	13.1				
2. डबरा	21.4				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	8.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक उड़द, गना, गेहूं, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	8.0				
2. इसागढ़	..				
3. अशोकनगर	21.0				
4. चन्द्रेरी	..				
5. शाढ़ौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राधोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	15.0				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलोरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल अधिक, तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	17.8				
4. छतरपुर	4.0				
5. राजनगर	6.4				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	0.2				
8. बकस्वाहा	9.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) तिल, गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़	2.4				
2. पन्ना	6.0				
3. गुन्नौर	3.0				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
*जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	13.8				
2. मझगांव	..				
3. रामपुर-बघेलान	9.0				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	7.0				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	6.0				
8. मैहर	4.0				
9. बिरसिहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. व्यौहारी	..				
3. गोहपारु	..				
4. जैसिहनगर	..				
5. बुढार	..				
6. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	9.8				
2. अनूपपुर	5.2				
3. कोतमा	4.8				
4. पुष्पराजगढ़	9.3				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, अलसी कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. अपर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई, सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. पश्चोली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुर्नैकिन	..				
जिला सिंगरैली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरैली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुम्बड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) राई-सरसों, मटर, अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मूंग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	2.0				
2. आलोट	24.0				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	9.0				
5. पिपलौदा	..				
6. रत्लाम	3.2				
*जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ेदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकछू 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. चेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	14.2 7.0 27.0 4.4 ..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीबाड़ा 4. सोणडवा 5. भामरा				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँफली, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़गांवी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंथना	..				
3. हरसूद	.				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नैपानगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. व्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	0.5				
2. आषा	7.0				
3. इछावर	26.0				
4. नसरुल्लागंज	1.0				
5. बुधनी	3.0				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	10.0	..			
2. गैरतगंज	1.0				
3. बैगमगंज	8.0				
4. गौहरगंज	6.0				
5. बेरेली	6.0				
6. सिलवानी	20.7				
7. बाड़ी	22.5				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. धैसदेही	..				
2. चोड़ाडोगंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) उड्ढ, मूंग सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	1.4				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	0.3				
5. कुण्डम	4.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर, अधिक तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दुखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	16.4				
2. बिछिया	6.9				
3. नैनपुर	19.9				
4. मण्डला	40.8				
5. घुघरी	1.0				
6. नारायणगंज	2.1				
*जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	13.4				
2. जुन्नारदेव	10.2				
3. परासिया	2.0				
4. जामई (तामिया)	7.0				
5. सोंसर	31.0				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	31.0				
8. चौरई	..				
9. बिल्लुआ	22.3				
10. हरई	7.0				
11. चांद	17.4				
12. मोहखेड़ा	27.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, राई-सरसों, अलसी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादैन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला सागर, शहडोल, उज्जैन, खण्डवा, राजगढ., डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.